ESSENTIAL COMMUNITIES PROCUREMENT AND TRIBLTION AUTHORITY BILL 1988

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Essential Commodities Procurement and Distribution Authority to ensure equitable distribution of essential commodities at fair price and matters connected therewith,

The question was **put and the** motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I in roduce the Bill

CHILD WELFARE BOARDS BILL, 1988

3HRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I bee to move for leave to introduce a Bill to provide for the lishmenj of Child Welfare Boards in, every District of the country and mat'ers connected therewith.

jiestion was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I ir -educe the Bill.

CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 1988. (To amend article16)

भी तत्व प्रकाश नालबीय (उत्तर प्रदेश): में प्रस्ताव करता हूं कि भारत के वंशियान का और संमोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति वो जाए।

The question was put and the motion was adopted.

भी सत्य प्रकार मण्डवीय : महोदय मैं विवेयक को पुर:स्थापित करता हूं। FINANCIAL RELIEF TO INDIGENT PERSONS BILL, 1988

श्री सत्य प्रकाश मालबीय (उत्तर प्रदेश): मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धेन व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question was put and the motion was adopter;.

श्री सस्य प्रकाश मालबीय : महोदय विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

Financial relief to Blind persons Bill, 1988

श्री सत्य प्रकाश मालबीय (उत्तर प्रदेश): में प्रस्ताव करता हू कि नेवहीन व्यक्तियों को वित्ताय राहत देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुसति दी जाए।

The (fu< i put. and the motion was adopted.

श्री सरव प्रकाश न लखीय : महोदय मैं विश्वेयक को प्रत्स्थापित करता हूं।

Indian Pena! Code (Amendment) Bill, 1988.

श्री राम नरेश यादव (उत्तरप्रदेश):
मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड सहिता का श्रीर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की श्रनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adapted.

श्री राम नरेश बादव : महोदय, मैं विधेयक को पुरस्थापित करता है।

CONSTITUTION (AMENDMENT! BILL, 1988, (To amend article 326)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा यह सली-धन विधेयक संविधान के प्रनृच्छेद 326 में संशोधन करने के लिए है श्रीर वह केवल इसलिए है कि जो इस देश में मतदाताओं की न्यूनतम ग्रायू है उसको घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया जाए।

मान्यवर, यह विषय बहुत दिनों से चल रहा है और जब इस देश में संविधान बना था, उस समय वयस्क मताधिकार के प्रधिकार यहां के मतदाताओं को दिये गये और जो व्यवस्था उस समय उक्त की गई थी, उसके अनुसार जो ब्राप्ट कंस्टीट्यूशन था, संविधान का जो प्रस्तावना प्रस्ताव था, उसमें उस समय 326 के बराबर 89 (बी) था और डा० धम्बेडवर ने उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। डा० राजेंग्द्र प्रसाद सस समय संविधान सभा

[श्रो सत्स प्रकाश मालवाय]

Constitution

की कुर्सी पर सभापति के रूप में विराज-मान थे ग्रौर उम प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हुआ, बिन विवाद के, विदा विचार-विमर्श के सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि देश में मतदाताओं को ग्रायु जो न्यूनतम होगी, 21 वर्ष होगो ।

मान्यवर, ग्राज इस देश में बराबर बहस चल रही है कि ब्यापक रूप से चृत व क नृत में संशोधन हो, उत्रमें परि-वर्तन हो। इस सिलसिले में चुनाव ग्रायोग ने भी सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, केवल कांग्रेस "ग्राई" को छोड़कर, सब ने अपने-अपने सुझाव चुनाव आयोग को दे दिए हैं। चन व-ग्रायोग ने भी इस बात से अपनी सहमिति ब्यक्त की है कि मत-दाताओं की न्यनतम आयु को 21 से घटा 18 वर्ष कर दिया जाये।

मान्यवर, इस देश में जो युवा-शक्ति है, वह राष्ट्र-निर्माण के काम में लगी हुई है और पहले भी युवाणक्ति ने राष्ट्र निर्नाण का काम किया है, चाहे ग्राजादी की लड़ाई का समय रहा हो या स्राजादी हासिल करने के बाद का समय रहा हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, डा० राम मनोहर लोहिया ग्रौर लोकनायक जय-प्रकाश नारायण ने आजीवन प्रवा शक्ति को प्रेरणा दी ग्रीर इन राष्ट्र-नेताग्रीं का बराबर यह कहना या कि युवा शक्ति को ग्रिध-कार भी देने चाहिये। लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने एक समिति बनाई थी बो॰ एम॰ तारकृण्डे समिति ग्रीर उस समिति ने भी अपनी संस्तृति दी कि मता-धिकार की स्राय बटाकर 18 वर्ष करदी जाए ।

मान्यवर, सन् 1925 में पहली बार इस देश में वयस्क मताधिकार को बात उठी थी। उस वक्त इादेश की ग्राम जनताने

ग्रीर उत्त वक्त के राष्ट्र नेताग्रों ने भी इस विचा से अपनी सहमति व्यक्त की बी और जहां तक वयस्क मताधिकार को वात क महातमा गांधी ने भी समर्थन किया या। कांग्रेस पार्टी, जिसमें बहुत से राष्ट्रीय नेता थे, सर्वश्री मोती लाल नेहरू, लाला लाजनत राय, स्राध्य प्रदेश के श्री टो० प्रकासम, श्रानिवास ग्रब्यंगर ग्रौर देश का बंटवारा होने से वह चले गये पाकिस्तान में श्री पोहम्मद ग्रली जिन्हा वह भा, उस कमेटी में थे। इन सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि वालिंग मताधिकार इस देश में होना चाहिये । ड्राफ्ट कंस्टीट्यशन बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सन् 1927-28 में एक कमेटी बनाई थी ग्रौर उस कमेटी का नाम था—भोतीलाल नेहरू कमेटी. जिन्हा साहब भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने बालिग मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया ग्रौर जैता कि मैंने ऊपर उल्लेख किया कि वाद में हमारा संविधान बना 1949 में ग्रीर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागु हम्रा, तब से इस देश के हर व्यक्ति को, जो 21 वर्ष से ऊपर है, मताधिकार मिला है।

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच के हैं, उनको भी मताबिकार मिलना चाहिये। मझे इस बात को प्रसन्तता है कि सभी हाल में कांग्रेस पार्टी ने श्री बी०एन० गाडगिल की संयोजकता या ब्रध्यक्षता में कोई समिति बनाई वो और उस समिति ने भी कदाचित संस्तृति की है कि 18 वर्ष की जिनको स्रायु है, मदाधिकार उन लोगों को भी देना चाहिए। आज हो के समा-चार पत्नों से मुझे यह भी जानकारी हुई कि चनाव सुधार से जो संबंधित मामले हैं. उनके सिलसिल में कानून मंत्रो श्री शंकरा-नन्द जी ने विपक्षी दलों की बैठक वलाई है। मैं आपने माध्यम ते निवेदन कहंगा कि कम से कम मेरा यह जो संविजान संशोधन विवेयक है, इसको तुरन्त सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये और ग्राज ही इस संबंध में घोषणा करनी चाहिये।

मान्यवर, ग्राज जो 18 वर्ष के नव-युवक हैं, ये पहले के हिमाब से शिक्षा में बढ़े हैं, परिचन्त्र हो गये हैं, अपना अच्छा-बुरा समझते हैं, निर्णय लेने को उनकी क्षमा है। इसलिए भी उनको बिधकार मिलना चाहिये । मैं यहां उद्धरण करना चाहंगा कि पंजाब में गदर पार्टी के थे करतार सिंह सरावा, जो नवयुवक थे, 19 वर्ष को उनकी आयु थी . . .

ओ गुलाम रकुल मट्ट् (जम्म् और क प्रमीर) : गद्दार नहीं गदर।

भी सत्य प्रकाश मालबीय : उस वक्त कहते थे गद्दारी पार्टी, अग्रेज सरकार थी, ग्रग्नेज कहते थे गहार . . . (व्**यव**द्यान) . . . गदर सही है।

मान्यवर, मैंने जो जानकारी हासिल करने की कोशिश की है उसके अनुसार सबसे पहले संपूर्ण स्वराज का नारा इसी पार्टी के करतार सिंह सरावा ने दिया था। उन्नीस वर्ष की उनकी ग्राय थी ग्रीर श्रंग्रेजों ने उन पर मुकद्दमा चलाया ग्रौर फौसी की सजा देदी। वे फौसी के तकते पर हंसते-हंसते झल गए । इसी प्रकार एक चटगांव का रेड केस हस्राथा। उस केस में एक टैगोर नाम का बालक था जिसकी उम्र 17 वर्ष थी । यंग्रेजी हकमत के विरोध में लडते-लडते वह गहीद ही गया था । उसने अपनी जान देदी थी इसी प्रकार हरिकृष्ण कोनार को ग्राय केवल 14 वर्ष थी । उसने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सबह वर्ष की ग्राय में वह क्रांतिकारियों के साथ हो गया । उसे ब्राजीवन कारावास दिया और ग्रंडमान निकोबार भेज दिया गया । महीन भगत-सिंह को तो सभी लोग जनते हैं। सेंद्राल हाल में जब उन्होंने बम फेंका तो उस समय उनकी ग्राय केवल 19 वर्ष था। महोदय, मैं इस बात को इसलिए उद्धृत कर रहा हं क्योंकि ये सारे नीजवान 18 वर्ष के द्धासपास की द्धाय के थे, य 18 से 21 वर्षको याय के थे, लेकिन इनके मन में देश के लिए प्रेम था उन्होंने अपनी जान की बाजी लगादी, फांसी के फंदे पर झुल गए, ग्राजीवन कारावास की सजा सही। इसलिए इस ग्राय के नौजवानों को निश्चित रूप से मताधिकार दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, कुल 78 देशों की जानकारी मैं। इकट्ठी की है जिसमें कि मताधिकार की आय 18 वर्ष है। भारत, पाकिस्तान ग्रीर बंगलादेश-तीनों एक ही देश थे, लेकिन यह दुःख का विषय है कि लाहीर में जो 18 वर्ष का नौजवान है, ग्रामृतसर से केवल 30 किलोमीटर दूर, उसको तो वोट देने का अधिकार है, लेकिन अयतसर में जो 18 वर्ष का नवयुवक है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वांगलादेश बाद में पाकिस्तान का टकड़ा हो गया ग्रीर उस बंटवारे को डा. राम मनोहर लोहिया ने नकाली बंटवारे की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि आगे चलकर पाकिस्तान और बांगलादेश एक होकर नहीं रह सकता। डा. राम मनोहर लोहिया की बात सही हुई । आज बांगलादेश के 18 वर्ष के नीजवानों को वोट देने का ग्रधिकार है। श्री लंका मैं भी यही स्थिति है वहां भी 18 वर्ष के नवयुवक की बोट देने का अधिकार है।

मान्यवर, जिन 30 देशों में 18 वर्ष के नवयवकों को मताधिकार प्राप्त है, वे हैं---ग्रजैटिना, ग्र स्ट्रेलिया, ग्रास्ट्रिय , बांगलादेश, ब्राजील, बल्गारिया, कनाडा, कोस्टारिका, चकोस्लावाकिया, डैमोकेटिवः रिपब्लिक आफ वियतनाम, फिनलैण्ड, फ़ांस, जर्मन डेमो-केटिक रिपटिलक, जमन फैडरल रिपटिलक, हंगरी, ब्रायरलैण्ड, इजरायल, नीदरलण्ड पाकिस्तान (मैं बता चुका हं), पोलेण्ड, रिपब्लिक बाफ वियतनाम, रूमानिया, गाउथ प्रफीका, स्वीडन, सोरियन, ग्रारव रिपब्लिक, य.एस.एस.ग्रार., युनाइटेड किंगडम, यनाइटेड स्टेंट्स आफ अमेरिका, योगोस्लाविया, फैडरल चेंबर, जैयरे, जांविया, तथा और भी कुछ देश हैं जिनमें कि कहीं 19 वर्ष या कहीं 18 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार है। एक देश तो मुझे ऐसा मिला है जहां केवल 16 दर्प के लोगों को बोट देने का अधिकार है। इटली एक ऐसा देश है जहां बाज भी 21 वर्ष के लोगों को बोट देने का अधिकार े है । मैं विशेष रूप से यह कहना आहता हं कि ऊपर जिन देशों को मैंने गिनाया है, उनके उदाहरण को सरकार को मानना

ः [श्री सस्य प्रकाश मालवीय] चाहिये, इटलो के उद हरण को नहीं मानना चाहिए।

SHRI M. A. BABY (Kerala): What do you want to point out when you say that we should not follow Italy?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I am saying that we should no; follow Italy in regard to grant of voting right. We should change our policy and reduce the voting age to 18, as Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka have done.

लेकिन मान्यवर, यूझे दुख है कि अभी 15 नवम्बर, 1988 को मैंने इसी सदन में एक सवाल किया था। मैंने अपने शरू के भाषण में 4 नवम्बर को कहा था क सन 1985 में राष्ट्रपति जी ने संसद के संयक्त अधिवेशन में इस बात का आश्वा-सन दिया था कि ब्यापक रूप से चुनाव कानून में संशोधन लाया जाएगा। कि व्यापक रूपसेचनव कानुत में संशोधन जाएग स्बच्छ राजनीति प्रजातंत्र के लिए । ग्रोर स्वच्छ 1985 में जो राष्ट्रपति जी ने कहा ग्रीर राष्ट्रपति जी जो कुछ भी कहते हैं, किसी सरकार का नीति होती है, लेकिन 1986 में राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं 1987 में नहीं कहा ग्रीर इस वर्ष 1988 में भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि सरकार अपने आण्वासन को भूल गई है और 15 नवम्बर, 1988 को मैंने जब प्रश्न पूछा तो मझे कानन मंत्री जी ने उत्तर दिया कि :

"The proposal for reducing the age is presently being debated extensively. This is being taken note of but no **final** decision has been taken."

तो नोट क्या किया मंत्री जी ने, किसी चीज को सरकार ने अपने दिमाग में रखा कि यह जो बहस चल रही है, इस बहस को नोट किया। पिछल 25 वर्ष में कितनी बार सरकार ने आश्वासन दिया—कमेटी आफ पैट्टिशन्स बैठी, उसने संस्तुति दिया, संयुक्त समिति ने अपनी संस्तुति दिया,

उसके बाद डा. कर्णसिंह मंत्री थे, उनके नेतृहर में एक समिति बनाई गई उसने अपनी संस्तुति दिया, लेकिन आज तक मान्यवर किसी भी संस्तुति का पालन नहीं किया गया। 1969 में लोक सभा में याचिका तिमिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत को गई थी और उसको बनारस के दो नव्युवकों थे, गांधी विद्या संस्थान से संबंधित थे, सुरेन्ट विक्रम, उन्होंने प्रस्तुत किया था और कमेटी ने अपनी संस्तुति 12 नवम्बर, 1970 को सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया। संस्तुति थी कि:

'The Committee has given earnest consideration to the demand of the petitioners for lowering the age from 21 years to 18 years. The Committee feels that there are no valid reasons for denying the right of vote to persons above th? age of 18 years, particularly when for all other purposes of law they are treated as majors and deemed competent to handle their affairs. The Committee, therefore, recommended that article 326 of the Constitution should be amended and voting age reduced from 21 years to 18 years."

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Who was the Chairman?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Shri S. Supakar, M.P. was **tbe** Chairman of the Petitions Committee of Lok Sabha

1970 में मान्यवर इस कमेटी ने अपनी रिपीर्ट दे दी और आज 18 वर्ष बीत गए लेकिन उस संस्तुति को कार्यान्वत करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की । उसके बाद मान्यवर एक कानून के संबंध में दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई गई। श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी उस समिति के सदस्य थे जो इत्तफाक से इस समय राज्य सभा में हैं और लालकृष्ण आडवाणी जो इस समय राज्य सभा में हैं, वह भी उस कमेटी के सदस्य थे और इस कमेटी ने फर रें रो, 1972 में अपनी संस्तुति की और इस कमेटी ने भी कहा और इस कमेटी

की नियुक्ति हुई थी 22 जून, 1971 को ग्रांर राज्य सभा ने अपनी स्वीइति दी 25 जून, 1971 को 30 जून, 1971 हो कमेटी गठित की गई ग्रांर जैसा कि मैंने उपर निवेदन किया है फरवरी, 1972 में इस कमेटों ने सर्वसम्मति से अपनी संस्तुति सरकार के पास भेज दी कि जो मताधिकार को आयु है इसको 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष करना चाहिये ग्रांर इसका उद्धरण बहुत ही आवस्यक है, सामात क सदस्यों की संस्तुति है

"The question of voting age has in recent years assumed considerable significance. It is well known that in Western democracies the expansion of franchise was slow, gradual and progressive. Great Britain, for example, took almost a century to arrive at universal adult franchise. In India on the other hand the experience of universal adult franchise is only 20 years old.

"The question as to whether the provisions of t'ne Constitution might be amended with a view to reduce the voting age from 21 to 18 therefore requires serious consideration.

Some Members of the Committee felt that if the voting age was reduced to 18 years, it would create innumerable problems in the country. The size of the electorate would increase to a tremendous extent, partly as a consequence of inclusion of persons between the age group of 18—21 years and partly because of the considerable rate of increase of population. This would also import party politics in the educational institutions which would be a source of disturbance at regular intervals and

would also detract the students from their studies. Obove all, it would create heavy financial burden on the exchequer for handling such a vast electorate.

Other Members of the Committee felt that this measure will provide to the younger generation a sense of participation in the democratic process. In their view, there are no valid reasons for denying the right of vote to the age gtooup of 18i—21 years, particularly when for all purposes of law, they are treated as majors and deemed compe-

tent to handle their affairs."

The Minister of Law and Justice stated that Government had not taken any decision in this regard.

Now these are ..he recommendations of the Committee. The operative portion reads as under:

"Having considered both the above viewpoints, the Committee decided that the voting age should be reduced from 21 years to 18 years. The Committee therefore, recommends that the Art. 326 of the Constitution might be amended accordingly.

This recommendation was made in February, 1972. Now we are towards the end of year 1988

इस कमेटी की संस्तृतियों को आज तक लागू नहीं किया गया है। इसके बाद इसी सदन में श्री भूपेश गुप्त जी न एक विधे-यक रखा था इसी संबंध में श्रोर श्री भूपेश गुप्त ने जो विधेयक रखा था उसमें दो तीन तारीखों पर इस सदन में बहस हुई श्रौर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद कैरल के सैयद मोहम्मद ने इसका उत्तर दिया और उत्तर में उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप में सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि 18 वर्ष की आयु के लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिये।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, he has done good home work.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes, very good home work.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसी तरीके स प्रो. मधु दण्डवते ने लोक सभा में 1980 में एक विधेयक रखा। उसके पहले श्री लक्ष्मी नारायण पांडे ने भी लोक सभा में एक विधेयक रखा था और उस समय भी सरकार ने आश्वासन दिया था सदन में कि हम स्वीकार करते हैं इसको मिद्धांत रूप में लेकिन स्राज तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ।

महोदय, जिस कमटी का मैंने जिक किया है उसके अध्यक्ष जस्टिस तारकुंडे थे जिने 3 P.M.

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय] लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने नियदत किया था। उसनें भो यही संस्तति दी थो कि मतदान की आय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्षं कर दी जाय। उनकी संस्तुतियों को मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें विद्वान, पत्नकार, बांडजोबो थं। उसके सदस्य थे श्री एम. ग्रार. मसानो, श्री पी. वो. मावलंकर जो कि जो . वो . मावलंकर ये जो लोक समा के सर्व प्रथम स्वाकर ये उनके पुत्र थे, श्री ए. जो. नूरानी, त्रो. के. डी. देसाई, ई. पा. डब्ल् डिकोस्टा 1975 में प्रो. तारकंडे ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दीथी। इस रिपोर्ट में मतदाता की आयु के सबंध में जो संस्त्तियों की गई हैं उनका उद्धरण में पढ़ कर सुनाना चाहता है।

"According to the present law, a per son gets the right to vote when he attains the age of 21. There is a strong current of opinion in the coun try that the voting right should be av ailable on attainment of majority at the age of 18. The Committee is entirely in favour of this change. While there may have been some justification when the Constitution was promulgated for confining the franchise to persons of the age of 21 and above, we do not think that this provision is justified anymore. In many families the younger people are better educated and better informed than their elders. In rural areas, while the older people are often illiterate, the younger generation is able to read and write. Moreover, in recent years, youth all over the country are becoming the vanguard and catalyst of social trans formation I: is desirable that their idealism should be adequately reflected in the legislatures. We are, for these reasons, of the view that the franchise should be extended to all persons at taining the age of 18."

बहुत ही वैलीड इनके कारण थे और संस्तिति सरकार के पास भी गयी। मुझे अच्छी तरह से याद हैं। इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारा-यण के नेतृत्व में एक जुलूस गया था और तत्कालीन स्पीकर को एक मांग पन दिया गया था 18 मार्च, 1975 को। मझे याद है आचार्य कुपलानी और मैं भी उसमें

सम्मिलित थे। स्पीकर नाहब को जाकर एका मानपन जनाव सुधार के संबंध में यानी मतदाता की ग्रायु घटाने के बारे में दिया गया था। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इस सस्तिति को सरकार नहीं मान रही है। जब शक्बर साहब इलेक्शन कमिशनर थे तो उन्होंने भी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त को थी कि मतदाताओं की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिये । समय-समय ५२ चुनाव ऋ।योग सरकार के पास श्रपनी संस्तृति भेजती रही ग्रीर 28 मार्च, 1988 को भी ग्रंपना एक पत्र भेजा है जिसमें चुनाव ब्रायोग ने फिर एक बार इस बात से सहमति व्यक्त की है कि मतदात की आयु घटा कर 18 वर्ग कर दी जानी च।हिसे । उनका यह कहना था :

"On voting age the Commission has stated that of the 39 countries listed in the publication 'World Atlas of Education', only in three countries (India, Botswana and Cyprus) the minimum age is 21 years. In Japan it is 20 years. In the remaining countries including UK and USA the minimum voting age is 18 years. The Commission has further stated that if the voting age is lowered to 18 it would be a recognition of the maturity of the persons in the age group of 18 to 21 who are mostly literate and have a part to play in politics."

This is what the Commission said or recommended.

मान्यवर, वार-वार सारो संस्तुतियां इस लिये पढ़ रहा हूं क्योंकि सरकार ने बार-वार आक्ष्वासन दिया है कि ये अच्छे सुझाव हैं श्रीर इन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है। सरकार का इस पर दिमाग लगा हुआ है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक इन संस्तुतियों को लागू क्यों नहीं किया गया? लागू करने से सर-कार क्यों गुरेंज कर रही है? अभी मैं जिक कर रहा था भूषण गुप्त जी का। उन्होंने इस सान में एक अपना विधेयक प्रस्तुत किया था गैर सरकारी उस पर जो उस वक्त के कानून मंत्री केरल के डा. बी. एस. सैयद महमूद थे उन्होंने 19 मार्च, 76 को यह उत्तर दिया था।

The Government appointed a Com-e under the Chairmanship of Dr. Karan Singh to examine the whole matter. He submitted a report containing points which were very much in favour of reducing the age."

यह दूसरी कमटी थी जिसमें अटल जी, आडवागा जी और मैं भी था। इस कमेटी में यह कहा गया था:

"But al (Wis stage, especially when the Joint Commi tee on the Election Law Amendment Bill is considering it and when the whole question of amendment of the Constitution is being con-sidered, let us wait a little longer. It is not as if the Government is against it. Certainly the sentiments of the House, the weighty arguments which have beer, advanced and the general opinion in the country is in favour of this amendment or change in law. All these factors will be taken into consideration and at 'he appropriate stage it will be considered."

पता नहीं यह स्टेज कब ग्रायेगी ? मैं यह बात इसलिये कह रहा हं कि जिस पार्टी की स्राज सरकार है उसने बड़ी-बड़ी घोषणायें की हैं, बड़े-बड़े वायदे किये हैं। उनके सन 1980 ग्रीर 1984 के चुनाव घोषणा-पन मेरे सामने हैं। सन् 1980 ग्रीर सन् 1984 के घोषणा पत्नों में एक में भी कांग्रस पार्टी इस देश की जनता से यह वायदा नहीं किया कि मतदाताओं की आय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी। यह चनाव घोषणा-पत्र 1980 का है, इसको मैंने छ: बार पढ़ा, ताकि शायद इस संबंध में कहीं कछ मिल जाय, लेकिन इसमें कहीं पर भी गलती से भी यह नहीं कहा गया है कि मतदाताचों की ग्रायु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाये। यह घोषणा-पन 31 पष्ठों का है ग्रीर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से मैंने इसको मंगवाया है । इसमें कहीं भी इस बात का वायदा नहीं किया गया है कि मतदाताओं की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्षं हम करेंगे। इस प्रकार से दूसरा हमारे सामने चुनाव घोषणा-पत्न श्री राजीव गांधी के समय का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1984 में ग्रपना चुनाव घोषणा

पत बनाया । यह 25 पृथ्ठों का है । इसमें भी बहुत से वायदे किये गये हैं । इसमें करीब 64 अनुच्छेद, धारायें अथवा पैराग्राफ हैं । इसमें भी कही भी इस बात की चर्चा नहीं है कि मतदाताओं को आयु घटाकर हम 18 वर्ष करेंगे और शायद इसीलिये इस देश की जनता की भावनाओं का अनादर किया जाता रहा है, उसको माना नहीं गया है । दूसरी ओर जनता पार्टी का सन् 1977 का घोषणा-पत है । इसमें वायदा किया गया था कि—

"To introduce electoral reforms after a careful consideration of suggestions made by various committees, including the Tarkunde Committee, and in particular consider proposals for recall of errant legislators and for reducing election costs as well as reducing voting age from 21 to 18 years."

मैं यह भी बताऊंगा कि गाडगिल कमेटी नं क्यों इसको स्वीकार किया। इसके बाद सन् 1980 का चुनाव हुआ। सन् 1980 के चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने इलक्टोरल रिफार्म और बोटिंग एज के संबंध में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा---

"The Janata Party ^m its 1977 manifesto announced its intention to lower the voting age to 18 years. Before it could amend the Representation of People Act in this direction, the President dissolved the Lok Sabha. The Party will carry out this change on resuming office."

इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सन् 1984 के चुनाव घोषणा पत्न में कहा कि 18 वर्ष की आयु के सब व्यक्तियों और मत-दाताओं को अधिकार दिया जाये। आडवाणी जी भी एक समिति के सदस्य थे। आजकल वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। 9 मई, 1986 को अपने समापित के पद से भाषण देते हुए उन्होंने इस बात की, बोटिंग एज की, चर्चा की है-

'Voting age must be reduced from 21 years to 18 years."

ग्रब एक नेशनल फ़ंट बन गया है। नेशनल फ़ंटने 71 सूत्री कार्यक्रम बनाया है जिसकी

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

Constitution

घोषणा गाडगिल कमेटी के पहले हो गई थी। नेशनल फंट के 71 सवी कार्यंक्रम में इस बात का वायदा किया गया है कि मतदाताओं की भ्राय 21 वर्षं से घटाकर 18 वर्षं करदी जाये। इसका कार्यक्रम संख्या 54 है---

"Voting age will be reduced from 21 to 18

इसके बाद कांग्रेस कमेटी ने श्री गाडगिल को ग्रध्यक्षता में कपेटी बनाई ग्रीर उस कमेरी ने भी इसी प्रकार की संस्तृति की है। लेकिन मैं इस प्रकार सरकार की नीयत पर शक करता हं कि जो एतिहासिक तथ्य है, एतिहासिक सत्य है बार बार सदन में क्रा वासन देने के बाद भी इस आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा रही है। मैं इसलिय निवेदन करना साहता हं कि 18 वर्ष की परिपन्वता को देखते हुए कम से कम इस बात पर विभार करते हुए और भी जो बहुत से कानून हैं उन में 18 वर्ष के लोगों को बहुत से अधिकार प्राप्त है। मैं इसलिये 30 अन्तवर, 1988 के दैनिक जागरण का उद्धरण प्रस्तृत कर रहा

___18 वर्ष के सैनिक के रूप में आप देश के लिये प्राण न्यीछावर कर सकते हैं भेकिन अपनी सरकार नहीं चुन सकते ।

——18 वर्ष की एक स्त्री विवाह कर सकती है, मां बन सकती है मगर बोट नहीं हे सकती ।

.... 18 वर्ष के हो कर **ग्राप कार** टैंक हवाई जहाज (भले ही छोटा हो) चला सकते हैं मगर भापको मताधिकार नहीं है।

<u>—ग्रापको नौकरी मिल सकती है,</u> वासपोर्ट मिल सकता है, एक वयस्क के रूप म खुद का बीमा करा सकते हैं, ऋाप बैंक में खाता खोल सकते हैं मगर 18 वर्ष की ग्राय् पाकर भी स्नाप लोक सभा या विधान सभा के मतदानपत्न पर मृहर नहीं लगा सकते।

---भारतीय दण्ड संहिता ग्रौर ग्रापरा-धिक प्रक्रिया संहिता ग्रापको दोषी ठहरा कर फांसी तक की सजा 18 साल की ऋायु के होते ही दे सकती हैं मगर श्राप मतदाता नहीं है ।

इसके धलावा, मान्यवर, बहुत ऐसे कानन हैं जिनमें 18 वर्ष की झाय के लोगों को बहत से अधिकार है (व्यवधान)

244

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): A{ that age you can buy and sell property.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Yes, Sir.

I would like to quote the Cinematograph

"An adult is a person who has completed 18 years of age."

It is also defined in the Act. The relevant portion in the Indian Majority Act says:

"Suject as aforesaid, every other person domiciled in India shall be deemed to have attained his majority when he shall have completed his age of 18 years and not before."

Then as you know there is the Hindu Marriage Act. In that there is a provision that: "The bridegroom should have complete.1 the age of 18 years."

There are so many laws and I don't want to go into the details.

इसलिए मेरा निवेदन है कि एह बहस इस देण में 25 वर्ष से तो चल ही रही है इस संसद में भी चल रही है अवध्दस वहस को ग्रीर मत चलाइये।

विधि और न्याम मन्द्र लय में राज्य मंद्री (श्री हंसराज भारदाज): ग्राप लोग ही चला रहे हैं। हमने थोड़ा चलाई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : स्वीकार कर लीजिए हमारा संविधान संशोधन विधेयक और योषणा कर दीजिए तमिलनाड में चनाव होने जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हंसराज भारदाज : श्रीमान जी, में इनके मह कैसे बन्द करूं। 1977 के चनाव मेनीफेस्टों में दे कर जो पार्टी लागू नहीं कर सकती है वह हमारे ऊपर ग्रव यह बोल रहे हैं। ग्रापने यह कै से कह दिया ? ग्रापको धपने मेनीफेस्टों को तो पूरा करना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मैंने उसका उड़रण सिर्फ इसलिए किया है कि वचन— बड़ता भी नहीं होती है। ग्राप तो चुनाव शोषणा—पत्न में भी वायदा करने से संकोच करते हैं। बहुत से वायदे किये लेकिन यह वायदा नशीं किया।

श्री हंसराज भारद्वाज: यही तो फर्क है। हम वायदा करेंगे तो निभायेंगे। आप वायदा कर के घोखा देते है। आपने वायदा नहीं निभाया है।

भी सत्य प्रकाश मालबीय: इसोलिए तो हाई साल में चले गये लेकिन ग्रव ग्राप लागों के जाने की बारों है। नेशनल फंट ग्राप लोगों को इस देश की सत्ता से मगाएना (व्यवधान)

भी हंसराज भारद्वाज: जी रहेगा, श्राएगा। को सस्य प्रकाश मालबीय : मैं सिर्फ यह का रहा था कि जब सरकार चाहती नो है मंशा सी है और सत्ताधारी जो सब-से वहीं पार्टी है आल इंडिया कमेटी ने भी जो कमटी बनाई है उसने भी संस्त्रति की है ग्राप उसको स्वीकार करिये। विपक्ष की मीटिंग जो पिछले 6 साल से आप देख ही रहे हैं कि कितनी बार मीटिंग हो चकी है। चनाव ग्रायोग ने सुझाव मांगे सारे राजनीतिक दलों ने सुझाव दे दिये। यहां तक हो गया पिछले अगस्त में सन्न के यन्तिम दिन जब याडवाणी जी ने यपना एक सवाल उठाया चनाव काननों में संगोधन करने के लिए। तो प्रधान मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बहुत ही शीध चुनाव जान्त में व्यापक सुधार के लिए संशोधन लाया जायेगा। लेकिन वह सन खत्म हो गया और इस सन्न के भी समाप्त होने की बात आ गयी है (व्यवधान)

उपसमाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इस सदन में बटा सिंह जी ने कुछ कहा था शायद।

श्री हंसराज भारहाज : श्रापको डेट पहुंचा दी है मीटिंग के लिए श्रापको निमंत्रण मिला कि नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: पैंने इसी से गुरू किया था कि शंकरानन्द जी ने मीटिंग बृलायी है (व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज : हम लोग तो बड़े प्रेम के साथ बातचीत कर रहे हैं, ब्रापको विश्वास क्यों नहीं होता । हैं

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : ग्राप लोग यह मत कहिए कि विपक्ष को बुलाया जाता है लेकिन विपक्ष वाले जाते नहीं हें (स्यवधान) मैं ज्यादा समय नहीं लुंगा। शुरू से यह निवेदन कर रहा था कि जो नर्क प्रस्तुन किया है उस तर्क में कुछ बल है। उस तर्क के पीछे कुछ इस देश का इतिहास है, इस देश के नौजवानों ने, 18 वर्ष के नीचे के नीजवानों ने बलिदान किया है, अपने जीवन को प्राणों को न्योछावर किया है। वैने शरु में ही निवेदन किया था कि जितने राष्ट्रीय नेता थे चाहे सब के चाहे आज के इन्होंने यदा अकित का प्रयोग किया है। इसलिए जब हम उनको प्रयोग करना चाहते हैं तो उनको अधिकार भी दे। इसलिए जो भी सरकार बनर्ता है चाहे प्रदेश की हो या केन्द्र की उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिये। केरल की सरकार है मान्यवर । 1971 में केरल की ग्रसेम्बली ने एक प्रस्ताव पास किया था और प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास भेज दिया था कि 18 वर्ष के लोगों को मनाधिकार देना चाहिए। मान्यदर, उत्तर प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार थी, राम नरेण यादव जी मध्य मंत्री धे उस वक्त में स्वायत्त शासन मंत्री था ग्रौर उस समय उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष के लोगों को जो स्थानीय निकायों, डिस्ट्क्ट बोर्ड ग्रीर जिला परिषद के चुनाव होते हैं उनमें मताधिकार दे दिया गरा था और श्रभी भी चनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं तथा फिर होंगे इनमें 18 वर्ष के लोगों, अपने मताधिकार का प्रयोग किया धीर ग्रागे करेंगे। इसीतरह से कर्नाटक में ग्राज जनता पार्टी की सरकार है और यहां भी 18 वर्षके लोगों को मताधिकार प्राप्त है। इसी तरह से क्रौर भी राज्य है। केरल में भी है, ग्रांन्घ प्रदेश भी है शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी है, वट ग्राई एम नाट श्योर, वेस्ट वेंगाल में भी है। 'तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मीटिंग वगैरह तो ग्राप करते रहिए। शंकरानन्द जी ने मीटिंग ब्लायी है उसके बाद प्रधान मंत्री जी से मीटिंग होगी, विचार बिमर्श होगा और विचार विमर्श पांच साल से चल ही रहा है। मैंने शरू में निवेदन किया या कि सन् 1985 में,

(श्री सत्यप्र ताश मालवाय)

जनवरों में राष्ट्रपति जी ने वादा किया था जो सरकार होने की बोधणा की थी संसद के संयुक्त अधिवेषन में कि चुनाव कानून में व्यापक संबोधन लायः जायेगा मगर ग्राज तक वह नहीं लाया गया है। भारद्वाज जी जरूर जवाब दग कि जो दलवदल कानून है वह लाया गया है(व्यवधान)...

श्री हंसराज भारहाज : जब जवाब देने का मौका अला है तो इतने नेणनल फंट बना लेते हैं कि किसको जबाब दें लोचदल को जबाब दें कि जनता को ? आप मुझ बताइये कि नेणनल फंट क्या चीज है इसका कानून है कोई ढांचा है या कोई पार्टी है या क्या है ? इस जिलाब को दिखाने से क्या होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: प्रो० लग्भना हमारे सेकेटरी है, इसका एक ढ़ांचा हैं, पर मैं दिखा रहा हूं। नेशनल फंट का है (व्यवधान) ग्रगर ग्राप बैठ जाये (व्यवधान) मैं यह निवदन करूंगा (व्यवधान)

I can lay it on the Table of the House. This is presided over by Mr. N. T. Rama Rao and Mr V. P. Singh **is the** Convenor.

श्री हंसराज भारद्वाज: ऐसा नहीं है मालवीय जी। श्रीप तो पूराने श्रीदमी है यह तो किसी भादी का कार्ड उठा लाये हैं कहीं से (व्यवदान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उपसभाध्यक्ष जी अगर आप अनुमति दें (व्यवधान) इसको उधर पहुंचा दीजिए। इतनी तो अनुमति आप दें सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No no. it cannot be laid on the Table of the House.

श्री संस्थाप्रकाश मालवीय: मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा या (व्यवधान)

PROF. C LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): This is the manifesto. What do you want? The only thing is that they will not be prepared to accept it This National Front will unseat this country's Government. Tthasgo' a national programme. There is a mandate.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is wishful thinking... (Interruptions) . .

श्री हंतराज गरद्वाज: श्रव ये जहां से बोल १हे हैं। मेरी समझ में नहीं श्राता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : तो में सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि कानून मंत्री श्री भारद्वाज जी जरूर यह उत्तर देंगे कि दलबदल कानून लाया गया था (व्यवधान)

भी हतराज नारप्रज Mr. Malaviya, I have got tremendous respect for you.

भाषण दो तो हम सुने । ग्राप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हें पहले मुझे यह बता दें। कोई प्रिसिपल्ड भाषण दें तो हम सुने । ग्राप कौनसी पार्टी की बात कर रहे हैं? पहले तो ग्राप यह बता दें। ग्रापकी पार्टी लोग दल है ना तो ग्राप अपना नाम लेना तो भूल गये कि ग्रापने देश के लिए क्या किया । (व्यवधान) कोई तो ग्रपनी पार्टी का समर्थन करो । (व्यवधान) कभी ग्राप इधर और कभी ग्राप उधर की बात(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मान्यवर मैने यह निवेदन किया है कि (ब्यवधान)

श्री हंसराज भारहाज : नहीं आप ग्रपनी पार्टी का कहिए (व्यवधान) द्यापने जोरदार सवाल किया है (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय मेने दो प्रश्न पुछे हैं (व्यवधान) शीर चूंकि मैने यहां पर कुछ घोषणा—पत पढ़े हैं मैं इस समय जनता पार्टी में हं (व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज: कल श्राप कहां होंगे पना नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मोलवीय: मैं गुरू से ही जनना पार्टी में था ग्रीर 1985 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब चुनाव

आयोग ने सभी राजनीतिक पाहियों सै चनाय कानन में संशोधन करते के लिए मुझाव मांगे तो सुझाव लोक दल ने भी-उस समय चीबरो चरण सिंह उसके ग्रध्यक्ष थे लोक दल ने भी सुझाव भेजे जनता पार्टी ने भी मुझाव भेजें भारतीय जनता पार्टी ने भेजे और कुछ रीजनल पार्टीज जिनमें तेलेग देशम भी शामिल है, उसने, भी सङ्गाव भेजे, लेकिन मझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ग्राज तक 1985, 1986, 1987 और 1988 बीत गया, कांग्रेस गर्टी जिसके सदस्य श्री भारदाज जी भी हैं, जिसके राष्ट्रीय नेता, देश के प्रधान मंत्री हैं, इन्होंने चनाय ग्रायोग को श्राज तक अपनी पर्टी की छोर से एक भी समाव नहां दिया है।

Constitution

तो मैं सिर्फ यह निवेदन करन, चाहता हं कि मेरे सझाव के रूप में ग्राप संशोधन को नानिये और यहमान करके ग्राप इस देश की जनता की भावनाओं का अदर करेंगे, जो यवा शक्ति है उसक ग्रादर करेंगे ग्रीर यह वही युवा मक्ति है जो देश के निर्माण के कम में, हर कम में भविष्य में सहयोग करेगी और हमारे जो युवा इस देश के भावी कर्गधार है, भावी र प्टू के भाग्य निर्माता हैं, उनको ब्रिधिक र मिलना ही चाहिए और मुझे पूरी ग्रामा हैं कि इस संशोधन विधेयक को यह सरकार स्वीकार करने की ल्पा करेगी ग्रीर ग्राज ही सदन में घोषणा करेगी।

भी हरिसिह (उत्तरप्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज इस सदन में जिस बिल पर चर्चा हो रही है कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी आए, उस पर खारी नापण में पालबीय जो ने अनेक बातें कही और यह सा कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं है। मजनो हैरत और ताज्य होता है। कांग्रेस पार्टी तो वह पार्टी है जो अपने देश को ग्राकादी की लड़ाई की मुख्यात से लेकर प्राण तक नवयुवको का सहयोग लेती रही है और उसके लिए हर जान की बाजी लगाती रही है और जिसको भी सर्वोच्च पद देने का मौका अया, उसका सर्वोच्च पद दिया गया और आज के नवयवकों की

म्रीर नारियों की एज है मौर म्राप जानते हैं कि नवयुवकों में जागृति किस पार्टी ने पैदा की--कांग्रेस पार्टी ने पैदा की ग्रौर म्राज युथ कांग्रेस जो है...(व्यवधान) ग्राप कह सकते है...(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: 20 जनवरी, 1948 को गांधी जी ने कहा था कि उस पार्टी को खत्म कर दिया जाए।

उपसभाव्यक्ष (श्री जनेश देसाई) : मालवीय जी, ग्रापने वडा ग्रच्छा भाषण दिया है। You must hear him also.

श्री हिर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, जब मैंने नीयत का जिन्न किया ग्रीर उसकी सच्चाई सामने रखने लगा तो मालबीय जी बेचैन हो गये और मैं फिर सच्चाई रखने जा रहा हूं। अभी ताजा-ताजा याद होगा कि हमारे राष्ट्र के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम इस मामले पर बडी गंभोरता से विचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की नीयत कहा खराव है। उनके सूनने और समझ ने में जरुर खराबी मालम पड़ती है, ऐसा मझे आभास होता है।

ग्राप देखते हैं कि जब से ब्राजादी मिली है, कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने ग्रपने कार्यक्रमों के जिस्स ग्रपने प्रोग्राम्स के जरिए, अपनी योजनाओं के जरिए, अपनी जो प्लानिंग है उसके जरिए, अपने जो दूसरे कार्यक्रम हैं, उनके जरिए जो देश के नवयुवक हैं, उनमें जागृति, उनमें संगठन, उनकी तरककी ग्रीर उन्नति के मार्गपर ले जाने के लिए सारा प्रोग्राम इसलिए ऐसा बनाया है कि छाने वाली पीढी देश के शासन में हिस्सा ले, भाग ले, देश की बागडोर संभालने के लिए वह समध्यं हो, यह भी कांग्रेस पार्टी करती था रही है ग्रीर मुझे यह कहने में हिचक नहीं है ग्रीर मझको कहने में कोई हिचक नहीं है, ग्रगर बहुत बेताबी है मालवीय जं। को कि 18 साल की ग्राय हो जाती ग्रीस कांग्रेस पार्टी ने नहीं का और उन्होंने बहत सारे हवाले दिए, मंत्रिगण ने जा जवाब दिए, उन सब जवाबों को ग्रगर गीर से [श्री हरि सिंह]

पढ़े तो सारे जवाब हमारे मंजिनण के आशावादी हैं कि यह काम करने का इरादा है. मन है ग्रौर निश्चय है, लेकिन ग्राप देखिए सन 1977 में आपकी सरकार आई पूर्ण बहमत से और राज्यों में भी ब्रापकी सरकारें ब्रा गई, मालबीय जी तब ग्रापने यह बात नहीं कही कि इसे कर दीजिए । आप तब नहीं कर पाए ग्रीर प्रव सारी तोहमत हमारी सरकार के ऊपर थोपी जाती हैं, जबिक राष्ट्र के नवयुवकों को जगाने का शंखनाद कांग्रेस पार्टी ने किया । इसको कहते हुए मुझे खुशी है कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र ग्राप पहिए, ग्राप उनके कार्यक्रम देखिए, जो चनाव संबंधी गाइड-लाईज है उनको पहिए तव पता चलेगा।...(व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : यह ग्राप कांग्रेत पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।

श्री हरि सिंह : मैं गवर्नमेंट का प्रोग्राम बता रहा हं ग्रीर यह जो बीस सुद्रीय कार्यक्रम है यह यथ कार्यक्रम हैं जो नई पीढ़ी है उसको जगाने का कार्यक्रम है । छाप कहते हैं कि शासन में साझोदार बनाईए। साझोदार कैसे होंगे जबकि उनके ब्रन्दर नेतत्व नहीं खायेगा, हिन्दुस्तान के संविधान के बारे में तमझदारी नहीं त्राएगी ग्रीर हिन्द्रस्तान की ब्राजादी की लड़ाई के बारे में उनको नालुम नहीं होना 'हनारे जो हीरोज हैं, जो देश के नए निर्माता नहीं बल्कि जिस पोड़ी ने हमारे देश को उठाने के लिए, आजादी लाने के लिए अपनी जाने कुर्वानी की यदि आज ने तत्र प्रवक उसको नहीं जानेंगे तो मिवष्य क्या होगा? जो पीड़ी भूत ग्रीर भविष्य को नहीं जोड सकतो उसके हाय में अगर सत्ता दे देंगे तो क्या होगा ? कांग्रेस पार्टी तो यही बात कर रहीं है और उसका यह ठीस प्रोग्राम है ग्रौर नवयवकों के लिए है। यह तोहमत लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं है और सरकार की नीयत साफ नहीं है, वायदे करते चलें था रहे हैं और कुछ किया नहीं है तो जैसा मैंने अभी इंगित किया कि 1977 में आपकी सरकार थी और आप उस समय कहां सोते चले

नए थे ? कहां ग्रापको नींद आ गई और ग्राप किस नींद में चले गए ? ग्रापने इतना हवाला दिया । ग्राप उस समय कहते हमें कि ग्राप तो 20 साल से सरकार में थे और ग्रापने यह किया नहीं और जब हम 1977 में सत्ता में धाए हैं ग्रौर ग्रव हम 18 साल की ग्राय इसके लिए करते हैं। भ्रापने यह सब क्यों नहीं किया ? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सदन में जो बे सिर-पैर की बातें कहने का जो सिलसिला चला रहता है वह ठीक नहीं है । सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत बहुत साफ है ग्रीर वह यह अपनी युवा पींडी को और नीजवानों को अपनी धरोहर समझती है। कांग्रेस पार्टी समझती है कि ञ्चाने वाला समय नौजवानों का होना चाहिए, ग्राप देखिए कि नारी जगत के निए नवयवकों के लिए कितने कार्यक्रम हैं। जब चनाव सधारों की बात आती है हम समझते कि ये बहुत आवण्यक है ग्रीर ये किए जाएं। जैसे कहता है कि चुनाव मैं जो खर्च हैं उनको कम किया जाना बाहिए । लेकिन जाः एक सद से बड़ी बीमारी पैदा हो गई है जैसे कि अमी हमारे म्युनिसिपैलिटो के चनाव हए श्रीमन मैं उनका ब्याखान नहीं करना चाहरा, नौजवानों ने सारे जो इलैक्शन वय ये उनको कैंप्चर कर लिया। तो ग्राज जब हम इस यथ को सत्ता और ताकत देना चाहते हैं, बोटिंग राइट देना, उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटों भी आनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में जाइये, एक नई बीमारी चल पड़ी है वहां पर फेयर इलैक्शन नहीं होने देते । यह कौन करते हैं ? यह नौजवान करते हैं। कांग्रेस पार्टी कैम्पेन चला करके सब काम करती है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में ग्राप देखिए, यह सरकारी कार्यक्रम है और यह यथ के लिए है । मैं यह बात कहना चाहतं: हं अगर मैं पटना के तौर पर नहीं कहता है कि जितने भी अनुभव हमारे हैं और हमारे राष्ट्र के जो नेता हैं प्रधान मंत्री जी वह युवा हैं। इसके लिए आपको गौरव होता चाहिए कि इतनी कम उम्र के हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। दुनियां के किसी भी देश में इतनी कम उम्र के प्रधान मंत्रीया

Constitution

राष्ट्रपति नहीं हैं जितनी कि कम उम्र के हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। यह यथ के लिए मोहब्बत की बात नहीं है तो बीर किसके लिए है ? मैं पूछता हूं, उपसभाध्यक्ष जी, आप भी इस बात के लिए बता दी जए कि ग्रगर हमारे मन में हमारे दिल में नवयुवकों के लिए जगह नहीं होती, ग्रास्था नहीं होता तो कैसे हम अपने देश का नीजवान प्रधान मंत्री बनाते ? हमें मालुम है कि यूथ बिना देश नहीं चलेगा क्योंकि उसके पास एडवेंचर होता है, सेक्रीफाइस होता है श्रीर सुझ-बझ होतो है। ग्राज ग्रगर हम सही मायने में जायजा लें तो जो आज की एजकेशन है उसम् बहुत परिवर्तन आया है। अब से पहले के जो हमारे नवयुवक हैं पुरानी पाढ़ी के नवयुवक जिस पोढ़ी में मैं नवयुवक था उसको बहुत कुछ मालुम ही। नहीं था जिलना कि आज के नवयुवक को भालम है। यह वात सही है कि ग्राज बड़े परिवर्तन ग्राए हैं भीर देश ने बहुत प्रगति की है, आज टेलीविजन है, रेडियो है, कम्युनिकेशन है। तालीम का जो पैट्टनें बाज सरकार ने बदला है उससे विद्यार्थियों में चेतना आई है। आप जानते हैं, आप किस देहात में जो विद्यार्थी है उससे पुछिएतो वह सारी दुनियां की राजधानियों को बता देगा ग्रांर कहा कहा क्या हो रहा है। यह सारा चेतना शिक्षा के कारण बारही है और सरकार के मन में भी है कि हमारा जो यथ है उसमें यह चीज ब्रानी चाहिए तो मैं कहना चाह रहा था कि जिस पोढ़ी की शिकायतें करते चले बा रहे हैं बौर ब्राज की पीढ़ी में फर्क है। ग्राज का नवयवक, विधार्थी जागरूक है, चैतन्य है, वह समझता है । इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि नवयुवकों के हाथ में सत्ता सौपेंगे तो वह ग्रन्छा भी चलाएंगे । कई जनह सामने आया भी।

एक नाननीय सदत्य : ग्रसम में जैसा तंत्रा ।

श्री हरि सिंह: जी हां,। यह देखकर के मुझे खुशी होती है, लेकिन जैसा कि

मैंने कहा इलैक्शन में नई बीमारी चली है। ग्रगर हमारे नवयुवकों में यह प्रणाली चली, ढींगा-मस्तीया डंडे के जोर पर तो वोटिंग-एज घटाकर ग्राप क्या करेंगे। सबसे पहले तो यह हो कि इलेक्शन फी-फेयर चलें, जो कि डेमोकेसी का उसल है, प्रजातंत्र का उसल है कि आदमी स्वतंत्रता से अपने विचार प्रकट करें, प्रचार करें, ग्रंपनी सारी चीजें करें, जाकर ग्रंपने लोगों से मिलें, कन्वेसिंग करें । लेकिन आप जानते हैं सौ दादा इकट्टे करके हो जाते । माफ कीजिएगा, पश्चिमी जिलों में कम हो पाता है, लेकिन पूर्वी जिलों में, चाहे बिहार का हिस्सा हो या हमारे य 0पी 0 का हिस्सा हो, वहां जो हालत है, उसका ग्राप ग्रंदाजा नहीं लगा सकते ।

तो मान्यवर, युथ जिसको आप हर हालत में चाहते हैं, मैं भी चाहता हं, लेकिन उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी ग्रा जाती है कि ग्राने वाला जो शासन है, वह कैसे चलाना है, महज उम्र घटा देने से बात नहीं बनती । इससे कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी । इसके लिए हमारी सरकार को इंतजाम करना होता है, दूसरे काम करना होते हैं, इतने भारी खर्चे होने होते हैं । मैं समझता हं, वोटिंग राइट दे दिया तो वड़ा भारी वक्त लग जाए गा ग्रीर वक्त पर चनाव कराना संभव होगा भी या नहीं, लेकिन मैं कहंगा कि हमारी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह सरकार की जिम्मेदारी है।

थी हरि सिंह : हां, हां, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के पार्ट हम और ग्राप भी तो हैं। जो उसकी पीड़ा है, उनकी जिम्मेदारी है, यह भी विचार योग्य है। यथ का देश के काम में, देश के शासन में पार्टिसिपेशन होता चाहिए, लेकिन कौन यथ हो, यह भी ग्राज बड़ा सवाल हैं ? यूथ कौन हो, युथ नागरिक कौन हो, उसका ढ़ांचा कैसा हो, उसकी कितनी हो, उसमें

[श्री हरि सिंह]

पैदा हुई या नहीं, उसका उसे जान है या नहीं, प्रजातंत्र से उसको मोहब्बत है या नहीं, उसके मन में हिन्द्स्तान के संदिधान के प्रति ग्रास्या है या नहीं, यह सब हमको देखना पड़ेगा ग्रीर तब हमको उम्र घटाने के सर्वाल पर सोचना चाहिए ।

मान्यवर, जैसा मैंने कह, हमारी सरकार की नियत बिल्कुल ठीक है। प्रधान मंत्री जी न इसके बारे में ग्रपन विचार व्यक्त किए तो हमारे जनमोर्चा के नेतागण कहते लगे कि हमारा प्रोग्राम चुरा लिया । ग्रारे, ग्राप बातों में करो, हस तो अभल भे करना चाहते हैं। यह चरा क्या लिया ? ग्रापके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है ग्रीर ग्रगर हम कुछ करना वाहते हैं तो श्राप कहते है कि चुरा लिया, गायब कर दिया । अपने मुँह मियां मिट्ठ वाली बात आप करते हैं।

श्रीमत्, मै तो यह कहता चाहता हूं कि जो बिल की भावता है, ठोक है। लेकिन ग्राज के यूथ का जो ट्रेंड है, उस पर विचार जरूरी है। इति उनको योग्य बना लें और जब अमझ लें जोख है, तब ऐसं ब्रह्म सबाल पर हमको गम्भीरता में ग्राना चाहिए।

इन्हीं ग्रलफाज के साथ में ग्राप को धन्यवाद देता हं और कहता हं कि कांग्रेस पार्टी की नियत बड़ी साफ है, सरकार की नियत साफ है, युध कांग्रेस पार्टी के साध है, उससे लगा हुआ है और उसके साथ रहेगा । धन्यवाद ।

Shri M. A. Baby: Mr. Viceall, I Chairman, Sir, first of would like to express my unqualified support t₀ the Bill brought forward by my respected, experienced and veteran colleague, Shri Satya Prakash Malaviya. Unfortunately, before I. join issue with my respected coileague from the other side on the points raised by him, he has quit the House, perhaps fearing what I will have to say.

Sir, in the course of his speech, he made certain points. Sir should I reserve my comments till he comes back? Anyhow, for the sake of record, i would like to mention something regarding the commitment of the Congress (I) Party to democracy. the main theme of the speech of my was colleague. Regular election is the hallmark of any democratic process. I wanted to know from my respected colleague, for many years elections have not been held in the Congress (I)? if elections are to be held in our country, certain processes are to be followed. The Election Commission is there. They have to announce the elections and all that. So far as election within Congress(I) is concerned, that is the internal matter of Congress(1). committed to democracy, Congress(I) is then Congress(I) should hold elections to all committees and to all offices. information is correct, for more than \2 years—I stand corrected—for more than 12 or 13 years there has been no election Congress(I)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA-GESH DESAI); How is that relevant to

SHR1 M. A. BABY: My learned coileague spoke of the Commitment of Congress(I) to democracy. So unless one has an amazing quantum of hypro-crisy, one cannot speak from Congress benches that Congress(I) is committed to democratic process. What is the commitment of Congress(I) to the elec-toral process of our country? We know what happened after the elections of 1971 between Mrs Indira Gandhi, former Prime Minister, who is no more, and Mr. Rajnarain. What was the verdict of the Allahabad High Court? I do not want to go into all that. I am just reminding my learned colleagues from the other side who go on speaking about the commitment of Congress(I) to democracy and electoral process to have, a sincere introspection. When the Allahabad High Court came out with the verdict...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRi JA-GESH DESAI): The Bill is very much

limited. The Bill is not for that purpose. It is only for reducing the age from 21 to 18.

SHRi M. A. BABY; I am coming to tea Bill. If you can allow me I want to discuss some wider issues relating to electoral reforms. following the Allahabad High Court So verdict, having failed to obtain an unconditional stay of the Allahabad High Court verdict from the Supreme Court a_n electoral reform was brought in retrospective effect so that the period of 1971 can also be included. All of us know about that. To get out of the legal nuances of the then electoral law and to circumvent the verdict of th Supreme Court, before the appeal the Supreme Court this was taken up in electoral law was brought in during with retrospective effect. emergency This is the commitment of Congress (I) to electoral process in our country. I do not want to speak about what happened in Tripura. This been dscussed time and again. My has colleagues have spoken about booth capturing by the youth and all that. Of course the participate in vouth booth capturing. also. The youth participate in many antisocial activities of our society, That is the plight of our fortunately. society. And the youth are not alone in that. Old people also participate in that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI); That is correct.

SHRI M. A. BABY: So we have to c;al with that problem separately. is a social problem. So my ' argument i' that we have to look at it from a wider angle and we should have a discussion on all aspects of electoral reforms, and I consider that the Bill that we are discus sing assumes greater importance by way of rejuvenating the democratic' forces in our country as has been ably explained my veteran colleague. So I do by f not want to repeat; i do not want to the same ground again. Now, as has been mentioned, if 18 years can be considered as a mature age for many other social activities, many other social responsibilities, why can't this

1434 RS-9. '

be considered tor voting? This is a very simple question that has been raised.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Not only social, but legal also.

SHRI M. A. BABY: Yes, legal also. Now, for the last 40 years, since Indepen. dence, we have been demanding it. The youth organisations have been demanding Our Democratic Federation of India has demanded it. The Youth Congress has demanded it. The youth organisations belonging to all the political parties or not belonging to any political party have been demanding it. Why has this not been implemented so far? Now, some discussion has started. My humble submission is that this very s?.me Government should implement it. Voting age should be brought down to 18 years. Why has this been mooted by the Congress Party? It is with an eye to win over the youth to its side by propagating it as an achievement of the Congress(I) Central Government. I do not want to take away that credit from the Congress (I) Central Government. I want the Congress(I) Central Government to implement it because this is the last chance for the Congress(I) Central Government to do something, if you fail to implement it now, then it will be implemented by the new Government, a different Government. This is my contention. If you implement it now during the tenure of this Lok Sabha, then the defeat of the Congress(I) will be far more severe because politicallyconscious youth will be able to participate in the electoral process. I hope that this will be understood by the country at large.

Unnecessarily a statemnt has been brought out by my esteemed colleague from the other side in relation to the Prime Minister. The name of the Prime Minister should not have been brought in here. I do not know whether anybody from our side has spoken about the Prime Minister. As he has mentioned something about the Prime Minister, I would like *to* set the record straight. My colleague said that the Prime Minister should be respected. I do not have any difference of opinion on that. Every Prime Minister of the country should be respected. But unfortunately

[Shri M. A. Baby]

something more has been added by my colleague. My hon. colleague said that the Prime Minister should be above everybody else. I would beg to differ on this. There is a certain category which is above the Prime Minister or even above the President, I refer to the people of this country. The people of this country are above anybody who occupies any office. This is our understanding. If somebody considers that somebody occupying some office is above the country and the people of the country, then I feel sorry for him.

Mr. Vice-Chairman, Sir, today the House, in a united voice, demands that this Private Member's Bill should be either passed by the Government or the Government should come out with an assurance that a legislation is going to be initiated by the Treasury Benches to give effect to this proposal. Fortunately we are discussing this aspect now. So, it is an opportunity for the Government to come out with such a statement so that some formulations which are circulating around in the capital can be dispelled. The Goevrnment has accepted certain private Members' Bills. The Government accepter in the other House the essence of a Private Member's Bill and brought out the now infamous Muslim Women Bill. The Government did not have any compunction to jump on that Bill of Mr. Banatwala, and said, yes, we are going to bring in a legislation. So, now the Government i_s getting an opport. unity to prove that for not only some non-progressive measures but for some progressive measures also the Government is prepared to take up the essence of a Private Member's Bill.

With these words, Sir, while once again strongly supporting the demand for the reduction of voting age to 18, I conclude.

Thank you, Sir.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभाष्यक्ष, महोदय मैं बिल पर बोलने से पहले ग्रांप से नम्प्र निवेदन करना चाहता हैं कि हमारे यहां जो गैर सरकारी विधेयक ग्रांते हैं उनका भी समय

निश्चित कर दिया जाये तो ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकेंगे और ज्यादा मुझाव अप्रा करेंगे, मैं अपने को भी उसमें निहित कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष, महोदय जो प्रस्ताव मालबीय जी ने विधेयक के रूप में यहां रखा है उसकी भावना से मैं पूरी तरह से सहमत हं। बास्तव में हमारी प.टी का जो उन्होंन जिल्ला किया, हमारी पार्टी में यह प्रस्ताव ह्या चुका था ह्यार गाइगिल कमेटी ने भी उसको पास कर दिया था. हमारे ए० ग्रा० सी० सी० ने भी उसकी सर्व-सम्मति से पास कर दिया । विका कमेटी ने भी उसको पास कर दिया की मतदान की उम्र 18 साल ने होनी चाहिए । इसलिए मालदीय जी ज्यादा तर्क में नहीं काते तो अच्छा था । हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जब इसकी मान लिया तो उसकी कार्यरूप देने का बाम इसारे विधि मंत्री जी करेंगे । इसलिए मैं कहना चाहता 🧐 कि 18 साल की उम्र का व्यक्ति बोट देने का ग्रधिकारी हो, सभी इस बात को हमेशा से उठाया जाता रहा है, इसमें दो राये नहीं है, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के लोग हों, सभी इस ब त को कहते आये हैं। अब समय आ गया है कि 18 साम की उम्र की वोटर लिस्ट बनाई जाए और जो लोग 18 साल के हो गये हों उनको बोटर लिस्ट में रखा जाए। कुछ राज्यों में तो ऐसा हो भी चका है, जिसके उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, इसलिए यह देश व्यापी हो जाए तो भ्रच्छा होगा । इस प्रस्ताव की भावना ग्रम्छी है, उन की इस भावना का मैं समर्थन करता है। मैं विधि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब झाल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसकी भान लिया है, जब कांग्रेस विकास कमेटी ने इसको मान लिया है, जब गाडगिल कमेटी ने इसका सूझाव दिया है तो उस पर शीघ्रता के साथ श्रमल करें श्रीर 18 साल की उम्र चनाव के लिए घोषित करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उम्र के बारे में मेरी धारणा कुछ भिन्न हैं क्योंकि उम्र का उपयोग स्विसेज में भी होता है चुनाव लड़ने के लिए भी होता है,

इसलिए बढे ग्रौर यवक की परिभाषा मेरी कुछ अलग है। मैं कहता हूं कि उमंग रहित, उत्साह रहित, तीजवान को नवयुवक कहना ठीक नहीं है । ग्रीर उमंग सहित, उत्साह सहित बुढ़े को वढा कहना भी उपयुक्त नहीं है । उत्साह बीर उमंग यदि है तो उम्र उसके पीछे कोई भाने नहीं रखती है। उसकी कार्य-क्षमतः। देखी जानी चाहिए । कार्यक्षमता की दृष्टिसे ग्रनर हम ग्राधिकार ग्रीर कर्तव्य एक दूसरे को सौंपे तो ठीक होगा। 18 साल की उम्र के प्रस्ताव का तो मैं हदय से समर्थन करता हं में सरकार से आशा करता ह कि मीघ्रतिशीध इसकी ग्रमल में ल एं। जुझे उमीद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे विधि मंत्री जी हमारी ग्राल इडिया कांग्रेस कमेटी का तया कारोस वर्षकर कमेटी का जो प्रस्ताव है उसको शोध लाग करेंगे। हर्ष ध्वनि के लाय ग्राल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास किया है। हमारी कांग्रेस कमेटी की मंशा यही है जो मालवीय जी लाये हैं श्रीर इसरे विरोधी दलों की श्रोर से भी यह प्रस्ताव ब्राया है। कछ जगहों पर इस पर श्रमल भी हो रहा है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सारे देश में समर्थन प्राप्त है। लिहाजा यह सर्वमान्य ही है श्रीर इसको मान लेना चाहिय। मैं इस राय का हं कि जो बोलता हं डेमोक्रेसी के लिये उसको करने का प्रयत्न करता हं। डेमोकसी जो हमारी जीवित रहती है बह सजग, सावधान जनता से रहती है। उसमें युवक भी ग्रासकते हैं जो सजग भी हों, सावधान भी हो, सशक्त ग्रीर समझदार भी हों। यही से डेमोक्रेसी की नींव मजबत होती है और उससे ज्यादा मजबूत होती है हमारी डेमोकेसी पक्ष ग्रीर विपक्ष से। उपसमाध्यक्ष महोदय, पक्ष ग्रौर विपक्ष की परिभाषा जब मैं करता हं तो मैं हृदय से कहता हं कि सरकार के अच्छ कामों का समर्थन विपक्ष को विना किसी संकोच के कर देना चाहिये ग्रौर विपक्ष के जो ग्रच्छे सुझाव हैं उनको सर-कार को मान्यता दे देनी चाहिये। इसमें यह नहीं होना चाहिय कि कोई ग्रच्छी बात सरकार ने की उसका विपक्ष को विरोध करना ही है या ग्रन्छे सुझाव विपक्ष की ग्रोर से ग्राये तो सरकार को उसका विरोध करना ही है। लिहाजा डेमोकेसी को जीवित रखना है तो

यह जरूरी है कि पक्ष ग्रीर विपक्ष द्वारा ग्रन्छे सञ्जावों ग्रीर ग्रन्छे कामों को मान्यता मिलनी चाहिये।

में यहां यवकों की बात कहना चाहता हं। देशक्य पी यथ पालियामेंट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती है। उसमें मैं जाता है। मैं कोहिमा गया है, बंगलोर गया हं, पना गया हं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश दिल्ली, य.पी. और पता नहीं कहां-कहां में गया हं। में स्वयं चाहता है कि हमारे देश में डेमोक्सी जीवित रहे। पड़ोस के बहत से राष्टों में भी हेमोकेसी चली गयी है। पाकिस्तान में चनाव हुये हैं। देखिये वहां क्या होता है। अभी से पता नहीं क्या-क्या सनते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे देश में डेमोकसी जीवित रहे। नव पीढ़ी में जन भावना, कत्तंव्य की भावना, एक साथ बैठ कर, मिलकर चलने की भावना, विचार गिवत सहने की भावना, कटाक सहने की भावना यथ पालियामेंट द्वारा सारे देश में आ रही है। मैं कमी-कभी राज्य सभा ग्रीर लोक सभा के सदस्यों से कहा करता है कि आप हमारे साथ चल कर देखों कि युध पालियामेंट के बच्चे कैसे स्पीकर बनते हैं, प्रधान मंती बनते हैं; होम मिनिस्टर बनते हैं; विपक्ष के लीडर बनते हैं ग्रीर किस तरह से राष्ट्रीय भ्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रों पर वहस करते हैं, चिन्तन करते हैं। मैं कम से कम उनसे यह तो शिक्षा ले रहा हं कि वे वच्चे 18 साल से नीचे के बच्चे हमारी चाहे पंजाब की समस्या हो, चाहे हमारी सीमाओं की रक्षा की समस्या हो, चाहे हमारी वित्तीय समस्यायें हों, इन सब पर ये बच्चे बहस करते हैं। मैं उनसे मजाक-मजाक में बोला करता हं युवा पालिया-मेंट के बच्चों तुमने जिस तरह की भावना यहां पर व्यक्त की है ग्रीर जिस तरह का तुम्हारा ज्ञान बढता है, विचार व्यक्त करने की क्षमता है, विचारों को, भावों को जिस ढंग से समझाने की क्षमता है उसे लगता है यह डेमोकेसी हमेशा हमेशा जीवित रहेगी। इस प्रकार की युथ पालियामेंट मैं सारे देश में करा रहा हं। मझे जरा भी संकोच नहीं रहता कि हमार देश की डेमोकेसी को कोई खतरा है। मैं यह कहना चाहता हं कि हमारे युथ बच्चे जो डेमोकेसी के लिये कर रह हैं इनको बल मिलना चाहिये ग्रीर हमें जाकर देखना चाहिय । मैं ग्रापका ग्रधिक समय

[श्री राम चन्द्र विकल]

नहीं लगा। मैं आपका आमार मानतां ह इन मञ्दों के साथ कि 18 साल से नीचे के वच्चे यथ गालियामेंट कर रह हैं, दश के सभी राज्यों में यह प्रोग्राम चल रहा है इनको हम बल दें। मैं समझतः हूं इस भावी पीढ़ी से हमारे मल्क में डेयोकेसी बरावर जीवित रहेगी । मैं मजाक में कभी-कभी उनसे कहता हं कि चनाव तम लड़ोगे तो अवश्य जीत जाम्रोगे ग्रीर सफल पालियामेंटेरियन बन आग्रोग। मालवीय जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हं ग्रीर आशा करता हं कि भारद्वाज जी, ऐसे प्रस्ताव को जो कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्व-सम्मति से पास हो चका है, आप उनको इस बात के लिय भनवा लें कि हमारी सरकार की तरफ से यह जाने वाला है, यह सरकार का कायकम है. मैं चाहंगा द्याप इसको जल्दी से जल्दी लायें। मैं इतना ही कहंगा कि यह मालबीय जो का गैर-सरकारी प्रस्ताव उप-योगी प्रस्ताव है । इस पर कारगर अमल होना चाहिय सरकार की तरफ से। डेपोकेसी में पक्ष ग्रीर विपक्ष, दोनों होते हैं। दोनों को लेकर हमें चलना है। डेमीकेसी के अन्दर हमें बच्चों, यवकों, बढों, सबको लेकर चलना होता है। मैं तो यही चाहता हं। कि हमारे देश में सब के सहयोग से हमारी डेशोकेसी धमर बनी रहे । इन शब्दों के साथ में आपका बहत-बहत आभार मानता हं।

श्री बी० सत्यनारायण रहा : उपसमाध्यक्ष जी, श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी जो यह संविधान (संशोधन) विधेयक, 1988 लागे हैं उसमें वे अनुच्छेद 326 का मंगोधन च हते हैं। यह बहुत ही ग्रच्छा है में यह कहना चाहता हं कि हमारे कास्टिट्यशन में जो आयु 21 वर्श दी गयी है उसको 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने के संबंध में मांग आज की नहीं है, यह जमाने से की जा रही है। सभी दलों और सभी पार्टियों की तरफ से यह मांग की जाती रही है। श्री नारद्वाज जी हमारे विधि मंत्री हैं, मैं समझता हं कि वे भी इससे जलग राय लहीं रखते होंगे। उनकी सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अभी हाल ही में इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है कि मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। उन्होंने एक गाडगिल कमेटी बनाई थी, उसने इस तरह की रिपोट दी है। श्री मालवीय जी जिस प्रकार का संशोधन चाहते हैं मैं नहीं समझता कि उसमें मंत्री महोदय को कोई एतराज होगा। यह सिर्फ सरकारी पार्टी की ही मांग नहीं है, सभी पार्टियां इस मांग को कर रही हैं। जैसा मैंने कहा. एक जमाने से यह मांग की जाती रही है। जब समाजवादी पार्टी ग्रीर उसके नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया ग्रौर ग्राचार्य नरेन्द्रदेव जैसे लोगों ने उस बक्त भी इस सवाल पर विचार किया था। उस वक्त में भी राजनीति में हिस्सा लेने लगा था और इन समस्यायों पर चर्चा करने लगा था। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यह सुझाव दिया था कि नवजवान जो 18 वर्व के हो चके हैं उनको बोट देने का हक होना चाहिये। उस वक्त से बोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग की जाती रही है हर दल ने कमोबेश इस मांग को माना है। किसी भी दल ने आज तक इस मांग का विरोध नहीं किया है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस इस अधिकार को छीनना चाहती है।

इस बारे में आपका ध्यान इस बात की तरक भी दिलाना चाहता है कि नई दिल्ली में ब्रांध्र प्रदेश भवन में सभी पार्टियों का एक सम्मेलन हम्रा था और उसके बाद एक वक्तव्य दिया गया था। उसका में आपके सामने सारां तरखना चाहता हं। यह इलक्टोरल रिफार्म के संबंध में है जिसमें 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष वोटिंग उम्र करने के बारे में एक ग्रंश है। यह सम्मेलन 25 अक्तूबर, 1987 को आंध्र प्रदेश भवन में श्री एन ही. रामाराव, मुख्य मंत्री आंध्र प्रदेश ने बलाया था । अब वे नेशनल फन्ट के चेयर-मैन भी हैं। उस सम्मेलन में सभी पार्टियों को बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी को भी बलाया गया था, लेकिन वे नहीं द्याये, पता नहीं क्यों नहीं ग्राये। सभी पार्टियों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उस सम्मेलन ने एक वक्तव्य जारी किया जिसके वारे में श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा कि श्री शंकरानन्द जी ग्रीर सभी दलों को बलाय' है, उनके सामने भी यह वक्तव्य है .

265

यह वक्तव्य सरकार के सामने पेश किया। 4-03 p.m. श्रीज भी यंकसनन्द जी मुखतिनिक राजनीतिक दलीं को बला कर बात करने वाले हैं यह तमाम त्रोजें भी सरकार के सामने रखी जा रहो हैं। जो वन्तव्य उस वन्त तैयार किया गया चुनाव सुवारों के संबंध में उसमें करोब-करोब 18 ग्रंश हैं जो कि ग्रमल में नाये जाने चाहिये। यह सरकार के सामने सभी दलों ने मृतिफिश राय से केन्द्रीय सरकार के सामने पेश किये, चनाव स्नायोग को मेज दिये। उसमें एक ग्रंग यह भी है जिसको में भापको पढ़ कर बताना चाहता है। Reduction in the voting years.' from 21 years 18 to बमी दलों ने साफ-साफ इसको मान लिया है। यह कोई नयी चीन नहीं है, नयी मांग नहीं है जैसे हमने पहले कहा कई दलों ने कई जमाने ने यह सरकार के सामने मांग रजी है, रखते रहे हैं । जनता यह पहतो है, नौजबान यह चलते हैं कि वीटिय एक का रिडश्तान हो । यह सिर्फ बोटिंग एक को :: कम सरने का हो नहीं है बालक जनाव काननों में हरीर भी संशोधन करने च हिये इस सम्बन्ध में सदन में मो और बाहर सा चर्चा हुई है और मंत्री महोदय ने भी कई बार इस सदन में ज्ञा-श्वासन दिया है कि हम चनाव स्थार करने वाले हैं। इन हे संबंध में सरकार गंभीरना ले सोच रही है लेकिन में एक बार फिर मंत्री जी का ध्यान और केंद्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता है। इस संबंध में प्राप ज्यादा समय व्यर्थ न करें और जो इस देश को जनता की मांग है ग्रगर प्रजातंत्र को ठीक ढंग से चलाना है देश के श्रंदर देश के नोगों की जो प्रजातक में इचि है उसको कायम रखना है सौर सभी लोगों को इसमें ग्राने ग्रामिकार को ठीक हंग से उपयोग करने का मौका देना है तो यह जुनाव सुद्धार जरूर लाग चाहिये। इस में किसी भी दरह से पीछे हटने की द्याव प्रकता नहीं है । इसमें वहत सी ग्रहम चोजें हैं एक ग्रहम चीज यह है। कि बोटर की एज 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी जाए। दूसरी जो ग्रहम चीज है इसमें वह यह है कि State funding of election expenses for the Lok Sabha and Assembly elections.'

यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चनाव सदार है। जब वोटिंग एज के बार में

प्रस्ताव पर मझे बोलने का मौका मिला है तो में यह भी कहना चाहता हूं कि स्टेट फर्डिंग **अभ्र इलैक्शन** भी होता बहुत जरूरी है । श्राज हम देखते हैं कि एक ईमानदार द्वादमी एक पढ़ा-लिखा ब्रादमी ब्रगर चनाव में हिस्सा लेना चाहता है, देश ग्रीर समाज की खिदमत करना चाहता है तो उसको मौका नहीं मिलता है। या तो पार्टी को पैसा देना पड़ेगा या खद को ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके लिये पार्टी पैसा जभा कर धौर चनाव में खर्च करे। यह तो नाममिकन बात है। ग्राम भादमी के लिये चुनाव में इतना उर्च इनना बोझा बर्वास्त करेना सम्भव नहीं है। इसके बारे में सरकार को सोबना चाहिये। ग्रभी कानून बना हुआ है कि असेम्बली के चुनाय में अम्मी-दवार इतने हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सवारा और लोक सना के चुनाव में एक जन्मीदवार इतने हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता फिर भी इस सीमा से 10 गुना, 15 गुना और 20 गुना खर्च होता है। इस प्रकार से कानून का उल्लंघन होता है। मगर सरकार अवने कानन से लोगों स झठ बलवाती है। इसकी खत्म करना चाहिये। लोगों को ईमानदारी ने चनाय में हिस्सा लेने और इमानदारी से देश और समाज नी खिदमत करने भा अवसर देना चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो आप जिसने कानन बनाये वे सभी कागज पर रह जायगे, समाज का सुधार नहीं होगा, देश ग्रागे नहीं बढ़ेगा। इस पर मैं पार्टी की नजरों से नहीं बोल रहा हं यह वो सब पार्टियों को सारे लोगों को सोचना चाहिये कि समाज और देश को सुधारने के लिये क्या-क्या करना चाहिये । यह वहत जरूरी है।

दूसरे भी सुझाव दिये गये हैं, जैसे पहले पालियामेंट ग्रीर ग्रसेम्बलीज दोनों का चुनाव साथ-साम्र हमा करते थे । ऋव तो असेम्ब-लीज के चनाव किसी और समय पर होते हैं तथा पालियामेंट के किसी और समय पर.

रहे ना सहस्र जनगरी है । वसके बोद्ध बसरा

S WHI W

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : पांच साल में वो दो बार होते हैं।

श्री बी॰ सत्यन रायण रेडी : दो दो बार होते हैं, तीन तीन बार भी होते हैं, इससे

[श्री बी॰ सत्यनारायण रेर्डु)

कितना खर्च बढ़ता है और देश को कितना नृक्सान होता है। इस खर्च को घटाना चाहिये। उस सम्मेलन में यह मुझाव दिया गया था कि दोनों के चृनाव साथ-साथ होने चाहिये।

दूसरा मुझाव यह भी था :

Pending grant of autonomy to Doordarshan and All India Radio, making these media function under the directions of the Election Commission during the election period.

दूरदर्शन और रेडियो का इस्तेमाल निष्पक्षता से सभी के लिये होना चाहिये क्योंकि सारे देश की समस्या है, सारे समाज की समस्या है, इसमें कोई पार्टी की या राजनैतिक गृटबन्दी नहीं होनी चाहिये। आज आप की पार्टी सत्ता में है तो कल दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है और परसों तीसरी पार्टी इसलिय जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये, उसके मृताबिक हमको आगे बढ़ना चाहिये। इसलिय इलेक्टोरल रिफार्म्स के बारे में जो सुझाव हैं, जो इस सम्मेलन में सरकार के सामने रखे गये हैं सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिये और इनको अमल में लाना चाहिये।

उसके साथ-साथ :

Fixation of term of the local bodies and make elections constitutionally mandatory at specified intervals.

Constitution of multimember Election Commission by the President, in consultation with the Chief Justice of India, the Prime Minister and the leaders of opposition, and formation of election Commissions at the State level.

यह भी एक सुझाव बहुत महत्वपर्ण है इसके सम्बन्ध में पहले भी हमने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था। दो तीन साल हो गये हैं पता नहीं क्या हुआ है। इस सम्बन्ध में मैंने अपनी राय रखी थी और दूसरे दलों ने भी इस चीज को दोहराया है। दूसरा एक और अहम सुझाव यह भी है कि:

Introduction of electronic voting system for elections.

इसका तजुर्बा भी हो चुका है। पहले केरल में हुआ है, उसके बाद हमारी स्टेट में भी एक असेम्बली कांस्टीट्यूएंसी में इसका तजबी हुआ और बहुत ही सक सफल हुआ। इसको भी सरकार को अपने ध्यान में रखना चाहिये और इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिये। इससे जो पोलिंग बूथ्स में घपले होते हैं या दूसरे बोटर्स वगैरह गलत तरीके से बोटो का इस्ते-माल करते हैं उनमें कुछ कमी आयेगी ऐसा मैं समझता हुं।

श्राज मालवीय जी जो विधेयक सदन के सामने लाये हैं इसके सम्बन्ध में कई मिलों ने और खासकर सिंह साहब ने कहा कि काग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, और नीजवानों को प्रोत्साहित कर रही है तथा प्रधान मंत्री जी नौजवान हैं। हम किसी के बारे में यह नहीं कहेंगे कि यह नीजवान हैं यह नहीं हैं। विकल जी ने कहा कि उम्र से सम्बन्ध नहीं है, इरादे से संबंध है। कोई नौजवान हो सकता है लेकिन अगर उसके काम करने का मुसम्मम इरादा नहीं है तो फिर नौजवान या बढ़ापे वाली बात बेकार हो जायेगी। मेरे कहने का मतलब है कि हम जो भी करना चाहते हैं दृढ निश्चय और विश्वास से उसकों अमल में लाने का सवाल है।

ग्रभी कुछ मित्रों ने कहा, मि॰ सिंह ने भी ग्रौर दूसरे दोस्तों ने कि यह जो सत्ता में, केन्द्र में पार्टी है उसका यह इरादा है, विश्वास है कि वह सब चीजों को करना चाहती है, मगर सवाल यह है कि क्यों नहीं किया है—सवाल इतना ही है। इसको ग्रमल में लाना है ग्रौर सदन के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव या विधेयक जल्द से जल्द लाना चाहिये ग्रौर उसको पास करवाना चाहिये ग्रौर हमने प्रधान मंत्री को कई बार भाषण देते सुना है कि "हमको देखना है, हम देखेंग"। हम देखते रहेंगे तो देखते ही रहेंगे हमें तो करना है, यह सवाल है, करके बताना है।

तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कुछ कइम उठाये, खाली कहते रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम जनता को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं क्योंकि आश्वासन देते हो रहेंगे और जनता को हम कोई ठोस काम करके नहीं बता रहे हैं जिनने कि जनता संतुष्ट हो कि यह सही माने में कुछ करना चाहते हैं और विकल जो ने प्राविद में बहुत हो अच्छी बात कही.. उन्हों ने कड़ा कि विश्लेषक में जो कुछ संशोधन मालगीय जी चाहते हैं, उसका उन्होंने पर्ण तरीके से अपना मत बताया और अपने विवार डोह इंग से रबे कि सरकार को इसे मानने में पीछे नहीं हटना चाहिये जो इस संगोपन में बताया गया है, इसको मानना चाहिये ।

मैं भी सरकार से यही चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार—क्यों कि श्री माल बीय जो जनता पार्टी के संबद में सदस्य हैं, उनकी तरक ने यह संबोधन ग्राया है, ऐसा न सोच क: के प्रारयह देश के हित में है, समाज के हि। में है तो सरकार को चाहिये कि इस विधेशक को जो मातशीय जी लाये हैं, वह मंजूर करें। मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रो ईश दस यादव (उत्तर प्रदेश) : मारोग उपत्रमाध्यक्ष जी, माननीय सस्य प्रकार मानगीय जी की स्रोर से भारतीय संजितार के स्राृब्जेंद्र 323 में एक सावारण सा पंजीवत करने के निये जी विशेषक प्रस्तृत किया गया है, में इसका हृदय से अपनी स्रोर से स्रोर प्राप्ती मार्टी की स्रोर समर्थन करता हूं।

> [उरतमाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतथ्यः)] पाञ्चलात हुए

मत्त्वकर वह संगोधा इत्रोती किया

जा रहा है, इसिलये प्रस्तावित है कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग मतिधिकार के ग्रिधिकार से वंचित हैं। भारतीय संवि-धान के ग्रनुच्छेद 326 में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाग्रों के लिये जो योग्यता, ग्राह्ता दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम का न हो, वह मतदाता हो सकता है।

माननीय मालवीय जी यह चाहते हैं, मैं समझता हूं कि पूरा सदन चाहता होता 🛊 ग्रौर पुरा देश चाहता होगा और आप भी इसी विचारधारा के होंगे कि संविधान के अनुस्टेंद 326 में जो 21 वर्ष है, इसको घटा करके 18 वर्षं कर दिया जाए। इसमें सरकार की कोई हानि नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों नौजवान मतदान का अधिकार पा जायेंगे। माननीय सत्य प्रकास भालवीय जी ने बहुत विद्वतापण नर्क प्रस्तुत किया है, प्रमाणों सहित, इतिहास सहित और इस पर जो बिहान लोगो के. जानकार लोगों के मुझाव आये हें, उन सब के साथ भाननीय भानवीय जी ने दक प्रस्तुत किया है। मैं सभझता हं कि भाननीय विशि और न्याय मंत्री जी जो सदन में विराजभान इन्हें इसे स्वीकार कर लेना च हिये। इन्हें इसे स्वीकार करना चाहिये और इसकी घोषणा कर देनी चाहिये, इसमें बहस की कोई गुंजा-इम नहीं है। चाहे आनं कोई विवेयक ले म्रायें मीर कानून बने या विनक्ष की तरफ से कोई विवेयक ग्राये ग्रीर कानन बने, ग्रनर वह कानून देश हित में है, जनवन्त्र के हित में है और सहो कानून है, सही विश्वेयक है, तो उसको स्वोकार कर लेना चाहिये और मान नीय न्याय ग्राँर विधि मंत्री जो का आज यह स्यव्य रूप स घोषणा कर देवो च हिने कि संविज्ञान में जो संशोजन प्रस्तावित है जिसके लिये छाज यह संविधान संगोधन विश्रेयक लाया गरा है यह सही है और इसकी

श्री ईश दस यादव

Constitution

स्वीकार वारके घोवणा वार दें। ग्रगर मान-नीय विधि और स्थाय मंत्री जी इस प्रकार की घोवणा नहीं करते हैं तो मैं नहीं बरिक इस देश की असंबद जनदा जिसकी जनतब्द में ग्रास्था है उनका यही मानना होगा कि मान-नीय मंत्री जी की सरकार की श्रीर इनकी पार्टी को नोवत एकदन साफ नहीं है। ग्रमर नीयन साफ होती तो 1972 में लोक समा ग्रीर राज्य सभा की जो एक संसदीय उप समिति बनाई गई थी उस उप समिति ने भी जब ग्रापकी ही पार्टी दा मासन था, ग्रापकी ही वार्टी के मास्तवाल में इस उप समिति ने सर्वसम्पति है पह संतिति की थी कि मतदाना की जाय 21 वर्ग में बटा करके 18 वर्षकर देनो घाडिये। ग्राज भाननीय मालवीय जी ने प्रमाण दिया साप यह भी कहते हैं और मैंने भी असाधार-पत्नों में पहा कि आपकी कांग्रेस पर्टी के किसी अधिवेशन में यह निणा लिया एवं और अगर इस तरह का निर्णय लिया जाता है और इस करह की संबद्धीय उर समिति की रिवीर्ट है, तमास विधि वेताओं का यह विवार है और देश की जम्ह-रियत की रजा के लिये द: वश्यक भी है, तो ग्रापको नि:चंकोच हुए से इसकी घोषणा कर देनी चाहिये। असर घोषणा नहीं करते हैं तो आपकी नीवत साफ नहीं मानी जायेगी।

मान्यवर, में यह कहना चाहता हं कि सरकार चनाव सधारों का तो विद्वोरा पीटती है कि चुनाव की जो प्रणाली है. इसमें सुधार किए जावेंगे, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है और इसको सरकार करना नहीं चाहती इसलिये चनाव सुदार नहीं करना चाहती कि अगर चनावसधार हो जायेंगे तो उस पक्ष में जो लोग बैठे हैं इनको सहक पर आ जाना पड़ेगा । मै एक जवाहरण देना चाहता है, मान्यवर, जो विवान सना, लोब सना के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इनका हो-लिसिटेशन के लिये इनकी पनः सोबा निर्मारत के लिये इस वर्ष का यानुत है। चनाय ग्रायोग ने भी सरकार

को लिखा कि ही-लिमिटेशन करा दिया जाये। भेरी परी जानकारी नहीं है, लेकिन क्छ वर्ष पूर्व सम्भवतः कोई इस तरह का बिल सदन में स्नावा भी था या स्नाते वाला था सीर सरकार ने जान-व स कर उसको रोव किया, ग्राज जो रिजर्व सीटें पड़ी हें और 10 साल, 15 साल हो गए या 20 साल हो नए और वे सीटें प्रारक्षित पडी हयी है, उस समय चुनाव ग्रायुक्त शक्षधर साहब ये उन्होंने पहला तर्ग दिया कि जो सीटें रिजर्व रहती ग्रीर लम्बे काल तक ग्रारक्षित रहती हैं तो वहां के मतदाता चनाव और जनतन्त्र के प्रति निकत्साहित हो जाते है। वहां का व्यक्ति जो चनाव लहना चाहता है वह अगर शैह्यस्ड कास्ट का नहीं है तो वह चनाय लड़ने के ग्रधि-कार से वंचि: हो जाता है. लेकिन सरकार ने अगा राक इसकी नहीं और 21 वर्ष की आए को 18 वर्ष कर देने में आपका कोई नुकसान नहीं । में समझता है कि इससे सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला है, करोड़ों लोग तो मतदाता हो जायेंगे और जहां तक मेरी जानकारी लगभग 15 लाख रुपये के करीब ही भारत की संचित निधि से आपको व्यय करना पड़ेगा ।

मान्यवर. इस देश में दो कानन नहीं चलाने चाहिये। मैं कि किसी भी मत्क में दो के कान्त नहीं बनते हैं लेकिन देश में जो सारे कानून है, उनमें की सीमा 18 वर्ष रखी गई है और चुनाव के लिये वयस्क होने 21 वर्षकी गई है। तो इस तरह के दो कानन, दो तरह की व्यवस्था एक ही देश में नहीं रहनी चाहिये । एक तरफ तो 18 वर्ष की अप्यु प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी Constitution

व्यक्ति आई०ए०एस० हो सकता है, ब्राई०पी०एस० हो सकता है देश का शासन, प्रशासन चला सकता है, सारी ब्यवस्था कर सकता है अपनी जमीन का हस्तांतरम कर सकता है अपनी संपत्ति को बेच सकता है और कानून यह कहता है कि 18वर्षकी आयु हो जाने के बाद मन ग्रीर मस्तिष्क से, बुद्धि और विचार से भ्रादमी परिपक्व हो जाता है, वह सब कुछ अपने विवेक से कर सकता है ग्रीर दूसरी तरफ मै नहीं समझ पाता कि सरकार उसको ग्रयोग्य क्यों समझ रही है तीन साल तक और, जो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पायेगा । अगर वह 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद सारा काम कर सकता है अपनी बृद्धि और विवेक से, तो बोट बया सही तरोके से नहीं डाल सकेगा? अगर सरकार की नियन इस तरह की है, इसमी ग्रावस्थक समझती है तो केवल कांग्रेस कमेटो की बैठकों में प्रोगोगण्डा करने से काम नहा चलने वाला।

मान्यवर, मानतीय हरि सिंह जी चले गए, सदन में नहीं हैं, वह सारा का सारा प्रचार कांग्रस पार्टी का कर रहे थे, इस बिल पर न बोल करके। मैं उनको कहना चाहता हं, ग्रापके माध्यम से कि अनर नियत साफ है सरकार की तो तुरस्त 21 साल की जो लिमिटेशन है, उसको घटाकर 18 साल करवाने की घोषणा करवाएं। इससे ग्रापकी कोई हाने नहीं है, कोई नुकसान नहीं है वरिक इससे बहुत बड़ा लाग हो जाएगा।

दूसरी चीज, मैं, मान्यवर, निवेदन करना बाहता हं कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक भीर दूसरी कुछ सरकारों ने यह व्यवस्था कर दी कि लोकल-बोडीज के चुनाव में, स्वानीय निदायों के चुनाव में मतदाता की द्वाय 21 साल में घटाकर 18 साल कर दी। असी उत्तर प्रदेश में चनाव हए हैं विरुले महीने ही और वह बहुत सफल चुनाव हुए है नगर-पालिकाओं के, स्वानीय निकायों के, ग्राम-सभाग्रों के ग्रीर मतदाता सुन्यों में 21 साल ने 18 साल संशोधित करके। तो मैं कहना चाहता हं कि यद्यपि चुनाव पार्टी-लाइन पर नहां हुए, दलात ग्राधार पर नहीं हए, लेकिन दलगढ झाधार स्वण्ट था कि पूरे उत्तर प्रदेण ं कारीब-कारीब कांग्रेस पार्टी का सफाया हा गया। यही कारण है कि इनकी नियत साफ नहीं होती। कांग्रेस पार्टी को बैठक में सब करेंगे, देश की जनता को कहेंगे कि हम चनाव स्वार करता चाहते हैं, लेकिन चनाव स्वार करेंगे नहीं।

मन्यवर, ग्रांच चुनाव-प्रणाली इस देश का दूषित हो गई है, सड़ी और निष्पक्ष हंग से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। ग्राज जो चुनाव की व्यवस्था है, पीपल रिप्रजेंटशन एक्ट जो है, उसमें संगोधन की श्रावश्यकता है, व्यापक परिवर्तन की ग्रावय्यकता है। आधुनिक प्रणाली नर तरोके से जब तक चुनाव नदी कराए जाएंगे, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे ग्रीर सही सरकार नहीं वन सकेगी।

मान्यवर, मैं सम्मान के साथ जहना चाहता है, किसी के प्रति ग्रनादर नहीं रखना चाहता, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मन्त्रनीय जगनोहन सिन्हा ने निर्णय दिया था. फ्रब्टाचार की परिधि की

(श्री ईश दत्त य।दव)

निर्धारित किया था और जब उसपरि-भाषा की परिधि के अंतर्गत तात्कालीन प्रधान मंत्री आई तो चुनाव उनका अवैध कर दिया था। और फिर सरकार ने इयरिंग द पेंडेन्सी आफ द अपील इन द आनरेवल सुप्रीम कोर्ट ग्रानन-फानन में पीपल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया था बचने के लिए। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने लंबे समय से शासन में है ग्रीर यह इतनी लंबी ग्रवधि से चर्चा चल रही है पूरे देश में इस विषय पर कि चुनाव में तमाम गड़बड़ियां होता है, बूथ कैप्चरिम होती है, फर्जी बोट पड़ते हैं, सत्ता पक्ष की ग्रोर से अधिकारी लोग फर्जी बोट 'डालते हैं चुनाव समाप्ति का समय जब 5 बजे का रखा गया है उसके बाद फर्ज़ी बोट डाल दिये जाते हैं तो बंडल-के-बंडल बोटस बलेट बाक्सेज से निकलते हैं। तो यह सारी दृष्यंबस्या है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर पांच सौ बेलेट पेपर पड़े हैं तो निकलेंग साह 11 सी धीर उस पोलिंग स्टेशन के कुल मती की संख्या होगी नौ सी। क्या सरकार की निगाह में इस तरह के तथ्य नहीं द्याए हैं ? मान्यवर, कानून है कि जहां-कहीं 90 परसेंट स ज्यादा मतदान हो जाय वहां का चुनाव २६ होना वाहिए। क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है? मान्यवर तमाम विद्यान सभा क्षत्रों में 90 परसेंट से ज्यादा बोट पड़ आया करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हं कि सरकार को ग्रांप माननीय विधि मंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करन चाहिए। वैसे तो विचार की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपके सामने तो सारी चीजे स्पष्ट हैं। तमाम समितियां, उपसमितियां बनी हैं, विधि-वेत्ताओं ने राथ दी है, सब लोगों ने आपको कहा है कि इस देश की चुनाव श्रणाली द्षित हो गयी है। चुनाव श्रणाली में स्धार लाइए, लेकिन ग्राप मौन बेठे हैं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कह देंगे कि हम यह करेंगे। आप के दो चूनाव घोषणा पत्र माननीय मालवीय जी ने पढ़बार सुनाए, हम विपक्ष के लोग

हमेशा से सिकारिश कर रहे हैं, अपनी ग्रावाज उठा रहे हैं, ग्रापसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस ग्रोर ध्यान दीजिए। मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी को सुन रहा था, आपकी बात से मझे बड़ा ब्राण्चर्य हुद्धा कि ब्राप जानते ही नहीं कि नेशनल फंट क्या है। ग्रभी इस देश के ग्रंदर जनता की ग्राकांक्षाग्रों के ग्रन्धप एक फंट बना है और आप कह रहे हैं कि मैं तो जानजा ही नहीं कि नेशनल फंट क्या हैं ? नेशनल फंट के 71 प्रोग्रास बने हें चौर उसमें यह कहा गया है कि चुनाव की ग्राय सीमा हम घटाएंगे। सन 77 में जनता पार्टी ने चनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम ग्रायसोमा घटाएंगे . . . (व्यवधान) . . . जनता पार्टी घोषणा की थी कि हम चनाव व्यवस्था में अपक सहार करेंगे और आय सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेंगे। लेकिन देश का दर्भाग्य रहा कि जनता पार्टी की सरकार, जो जनहित में काम कर रही थी, वह थोड़े समय तक रही। उसे समय नहीं मिला। लेकिन ग्रापको यह कहने की गुंजाइश नहीं है। आप तो जब से इस देश में संसर्दाय प्रणाली कायम है जब से चनाव की व्यवस्था चल रही है उस समय से निरंतर आपकी सरकार है सिर्फ ढाई वर्ष छोडकर। अगर आपकी मंशा रहती ग्राप सचमुच में चाहते कि इस देश में जनतंत्र मजबत हो, चुनाव प्रणाली में सुधार हो, दूषित प्रणाली को समाप्त किया जाय तो ग्रापके लिए यह कठिन काम नहीं है। स्नाप तो सबेरे तय करते हैं और एक घंटे के अंदर प्रैस विधेयक पास कर ले जाते हैं। भ्राप के लिए क्या कठिन काम है ? ग्राप तो कोई काम आनन-फानन में करा सकते हैं। यह हमारा देश जनतांत्रिक देश है, चुनाव के आधार पर सारी व्यवस्था चलती है यहां कोई राजा या रानी इस देश के ग्रंदर नहीं है जिसका हक्म चले या जिसका फरमान जारी हो। यहां तो भारतीय संविधान, जो पवित्र ग्रंथ है, इस भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के ग्रन्तर्गत चुनाव की प्रणाली के माध्यम से सरकार स्थापित की जाती है और वह इस देश के अंदर सारी व्यवस्था करती है। इस देश की व्यवस्था संवि-धान और चुनाव प्रणाली पर चलती हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सरकार नहीं चाहती कि हमारा जनतंत्र मजबत हो, सरकार नहीं चाहती कि जनतांत्रिक प्रणाली जो है सही ढंग से काम करे। आप तो येन-केन-प्रकारेण सत्ता में वने रहना चाहते हैं चाहे देश की जो स्थिति हो आए चनावों की चाहे जो स्थिति हो। ग्रपने अधिकारियों के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से ग्रीर गलत एवं भ्रष्ट तरीके से आपको किसी तरह से कामयाबी चाहिए चुनाव में ग्रौर चुनाव में कामयाबी करके आप यहां आकर के भूल जाएंगे। आप अपनी पार्टी की बैठक करके कोई घोषणा कर देंगे, लुभावनी घोषणा कर देंगे जनता को ग्राकपित करने के लिए कि हम यह करने जा रहे हैं। ग्राप कहते क्यों हैं? यह तो विपक्ष कह सकता है कि हम अब सत्ता में आएंगे तो हम यह काम करेंगे आपको कहने की ग्रावश्यकता नहीं। माननीय प्रधान मंत्री को आपकी कांग्रेस कार्य समिति में घोषणा करने की धावक्यकता नहीं। ग्राप तो सदन में ही इसकी घोषणा कर देते हैं, सदन में ही विधयक ला देते हैं और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ग्राप जैसे प्रेस बिल घंटे भर के शंदर ले आए और जहां तक मेरी जानकारी है कि सरकार में भी लोग एक राय नहीं थे। दो-एक मंत्री लोग थे उन्होंने साजिश करके बिल पेश कर दिया लोक सभा में ग्रौर पास करा दिया लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहंगा इस देश की बहादर अनता को ग्रीर प्रैस के भाइयों को जिन्होंने हिम्मत के साथ मुकाबला किया आपके इस तानाशाही रवैये का विरोध किया इस काले कानून का मैं प्रेंस के लोगों को और इस देश की जनता को और विपक्ष को धन्यवाद देना चाहंगा वरना भ्राप तो 5 मिनट के भ्रंदर इस माननीय सदन में भी पास करा लेजाते। तो मैं कहना चाहता हं माननीय विधि ग्रीर न्याय मंत्री जी से कि ग्राप सरकार के अंदर हैं और ग्राप घोषणा करें कि आज सदन में माननीय मालवीय जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है, इसका मैं स्वागत करता हं। ग्रापके बुजुर्ग सदस्य माननीय राम चन्द्र विकल जी की बातें मुझे पसंव ब्याई, उन्होंने स्वागत किया है

ग्रीर उन्होंने ग्रापसे भी ग्राग्रह किया है कि ग्राप इसको स्वीकार कर लेंगे।

मान्यवर इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सत्य प्रकाश मालबीय जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संशोधन के लिए विधेयक संख्या 1, सन् 1987 जो प्रस्तुत किया गया है, मैं हृदय से इसका स्वागत करता हूं। अपनी ग्रोर से ग्रीर अपनी पार्टी की ग्रोर से इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद ग्रमीन ग्रंसारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाष्यक्ष जी मैं समझता हूं कि यह जो हमने यानी कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है स्नाल इंडिया काग्रेस स्रोर विका कमेटी के अजीम रहनुम ग्रावामी लीडर श्री राजीव गांधी जी को कि उन्होंने बोट देने की उम्र जो 21 साल थीं, घटाकर 18 साल किया, काविले म्बारक बाद है। उसका एहसास सत्य प्रकाश मालवीय जी ने किया और उनका विल तड़पा ग्रीर यह विधेयक ल ए। मैं इनका स्वागत करता हं, इन्हें मुबारक बाद देना चाहता हूं । काश, ऐसे अच्छे वक्तों में यह विरोधी जो लोग बैठहैं, विरोधी पक्ष के, अगर ऐसे हमारा साध देते रहें तो जम्हरियत को ताकत मिलेगी देश में मजबती आएगी और मुल्क तरककी ग्रौर विकास के रास्ते पर चलेगा।

जनाब, ये लोग कहते हैं कि इनको विश्वास अब तक नहीं है। मैं कहना चाहता हं जब हमारी कांग्रेस पार्टी को यह यकीन हो गया, एतमाद अगर हमारे लीडर को हो जाता है कि ऐसे वक्त पर हमको ऐसा फैसला करना है, ऐसा कानून बनाना है तो वसे वक्त पर कानन बनाने का फैसला करते हैं। लेकिन उसका एक तरीका है। पहले पार्टी में वह पास हो, फिर विकिग कमेटी में वह पास हो, उसके बाद हाउस में उसके लिए कानून ग्राए। तो उसमें ग्राप ग्रपनी बात क्यों जोडते हो? हमारे लीडरों का एक मुकाम है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुझे याद है कि ग्रानन्द भवन में जब सन् 1962 के चुनावों की बात

श्री मोहम्मद अमीन ग्रंसारी) हो रही थी तो हम लोगों ने यह प्रस्ताव रबा था कि हमारे नौजवान पह लिखकर ग्रव सामने ग्रा रहे हैं, उनकी उम्र घटाकर उनको 18 साल की उमर में बोट देने का अधिकार दिया जाए। यसे खुशी है कि जिस दिन राजीव जी ने यह फैसला कांग्रेस कमेटी में लिया, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्रीर इंदिरा जी की ग्रात्मा को जरूर चैन मिला होगा। ग्राज ऐसे वक्त पर यह फैसला हुआ है जब हमारे नौजवान पढ़ लिखकर हिन्द्स्तान के ग्रंदरूनी मामलों में सोचने लगे हैं ग्रौर विदेशी पडपंत्रों को समझने लगे हैं विदेशी ताकतें हमारे देश की जी तोड़ना चाहती हैं उनकी वड़ी बड़ी साजिशों को वे ग्राज समझने में कामयाब हो रहे है। इसलिए आज वह पढ़ लिखकर ग्राना फैसला इस मुलक की जम्हरियत को बचाने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए तैयार है। हमारे नौजवान इस कानन का पूरा फायदा उठाएंगे और अपना हक देश के लिए अदा करेंगे।

अभी भाई साहब ने कहा था कि हमने म्यनिसियल बोर्डो में बहुत कम सीट पाई है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी हमने खड़ा किया था वह जीतकर आए हैं। हमारी कांग्रेस के जो सपोर्टर रहें हैं उसके बल पर ग्राज 80 परसेंट नोटिफाइड एरिया में ग्रीर म्यनिसिवल बोर्डी में कांग्रेस के लोग जीतकर ग्राए हैं। कांग्रेस का बोलबाला राजीव गांधी जी की लीडरिशिय में हो रहा है। ग्राप घबराइए नहीं। हम जम्हूरियत को बरकरार रखना चाहते हैं। कांग्रेस के तिरंगे झण्डे के नोचे हिन्दुस्तान की ग्राजादी सुरक्षित है। हमारे यहां कांग्रेस में जो ब्राता है वह देश का वकादार होता है, गहार नहीं होता। में मुवारकवाद देना चाहता हं अपने कानून मंत्री जी को धौर उनके जरिए अपने प्रधान मंत्री जी को कि ब्राज हम ऐसा कानन पास करने जा रहे हैं जिससे हमारे देश के नौजवानों को बोट देने का ग्रधिकार मिलेगा, ग्राज हमारे नव!ध्वतीं में उमंग है आशाएं हैं और

वे जरूर खुर्मा मन(एंगे कि 18 साल की उन्न होने पर उनको बोट का हक .मिलेगा। मैं ज्यादा समय न लेकर एक बार फिर खाल इंडिया कांग्रेस कमेटी को विकाम कमेटी को और सारे मैंबरों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बोट देने की हद 18 साल की उम्र करने का फैसला किया है। इसके लिए मैं अपने हरादेल अजीज प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ग्रीर ग्रन्ने वानून नंती जी को बधाई देता हं। गुक्रिया

†[شری محمد امین انصاری (اتر يرديمي): أب سبها أدهيكس مرودے - میں سنجھتا هوں که يه جو هم نے یعنی کالتہیسی پارٹی نے عیداء کیا ہے -آل انڈیا کانگریس اور رزگنگ کمیٹی کے عظیم رہاما -عوام - ليدر شري راجيو لاندهي کو که انہوں نے رائے دھندای کی عمر ۲۱ سال تبی کهتا کر ۱۸ سال کها قايل مياركياد هـ - احكا احساس ستما پرکش مالویئے جی نے کیا اور ا ا دل تویا اور یه وده یک اله -مين ان كا سواكت كرنا هوري -النهين ميارك دينا چاهتا هون -كاهل - ايسم اجم وقدون مهل عه لوگ جو مشالف بینیم پر بیات ھیں - (ورودھی پکھی) کے اگر ایسے هماوا ساته دیتے رهیں تو جمهوریت کہ طاقت ملےگی - دیش میں مضبوطي آئيگي - اور ملک توقي ارد وکاس کے واستے ہر چلے گا۔

^{†[]}Transliteration in Arabic Script.

جلاب والا یہ مطالف پارٹی کے لوگ کھتے ھیں کہ الکو وشراس اب تك نهين هـ- مين كهذا جاءها هوظ که جب هماری کانکریس بارای کو یغ يتهن هو كيا - اعتماد اكر هماري ليدر كو هو جاتا هے كه ايسے وقط ير همكو ايسا فيصله كرنا هي - ايسا قانون بغانا هے دو ریسے رقت پی قانون بنانے کا فیصلہ کرتے ھیں۔ ا ليكن أسكا ايك طريقه هے بهلے باوتى مين ولا پاس هو - بيا ورکنگـــــــ کمهالی میں پاس هو ۔ اسکے بعد آ هاؤس میں اسکے لئے تا ون آئے ۔ تو اسمیں آپ ایلی بات کیوں جورتے ههن - همارے لهقرون کا ایک مقاتیا ه - سورگائے بلذت جواهر لال تبرول كا مجه ياد هـ - كه أنند بيون مهن جب سلم 1941ع کے چناؤ کی **پا**ت ھو رھی ت_{ھی} تو ھم۔ لوگوں نے اِ یه پرخاؤ رکها تها که همارے نوچوارون پڑھ لکھ کر اب سامنے آ رھے هیں - ان کی عمر کیڈیا کر انکھا القهارة سال كي عمر مين ووت ديقي کا ادھیکار دیا جائے - محبے خرشی ھے کہ جس دن راجھو گندھی جی نے یہ فیصله کانگریس کبیٹی مین لها - اس دن يندت جواهر الل نهرور اور اندرا جي کي آتما کو ضرور چين ا ملا هوة - أج أيس وقت مين يه فيصله هوا هے جب همارے نوجوان ہوہ لکھ کر ہلدرستان کے اندرونی:

معاملون مهن سوچئے لکے ههن مارز

ودیشی شدینتروں کو سمجھلے لگے ههن - رديشي طالتهن هبارے ديش کو جو توزنا چاهتی هیں انکی بوی بوی سازشوں کو وہ آج سمجھلے میں کامیاب ہو رہے میں اسائے آج وة يوه لكه كر إينا فيصله لس ملك کی جمهوریت کو بچانے کیلئے اسکو برتراز رکیلے کیاگے تیار ھیں ھارے الرجوان اس قانون کا پروا فائدہ اقبائیں کے اور اینا حق دیش کیلئے ادا کرینگے ۔

الع العد الإدالة ابھی بھائی صاحب نے کہا تھا که هم نے میونسیل بورڈوں میں جهنت کم سیت یائی هین - هم یم کہنا چاھتے ھیں کہ جن کو بھی ھم نے كهوا كها تها ولا جيت كر ألي هين -ہمارے کافکریس پارٹی کے جو سپررٹر رهے ههن - اسکے بل پر آج +۸ چرسيدت ترقيفائق ليريها مهن اور مهونسپل بورةوں میں کانگریس کے الرك جهت كر آئے ههن - الكريش کا بول بالا راجهو کاندهی جی کی لهذر شپ موں هو رها هے - آپ گهبرائیم نهیں هم جمهوریت کو برقرار رکھا چاہتے میں - کانگریس کے ترنگے جہندے کے نیجے هندرستان کی آزادی سرکشت ہے ۔ ہمارے پہان کانگویس میں جو آتا ہے ولا دیش کا رفادار موتا هے - غدار نہیں هوتا - سهن مياركباد دينا چاهتا هوں ایے قانون ملتوی جی کو اور انکے دریعے اپ پردھان ملتری جی

[شرق محمد امين انصاري] کو که آم هم ایسا قانون پاس کونے جا رہے میں جس سے مبارے دیش کے توجوانوں کو ۱۸ سال عمر دینے کا ادھیکر ملےگا ۔ اج توجراتوں میں املک ہے - آشائیں ھیں اور وہ ضرور خرشی مناٹیں گے ۔ ئة 14 سال كي عمر هونے يو الكو. ووث کا حق ملیکا - میں زیادہ سے نه لهکر ایک بار پهر آل انڈیا' کانگریس کمیٹی کو اور ورکنگ کمیٹی اور سارے مسیروں کو میارکیات دیتا ھوں کہ انہوں نے ووٹ دیائے کی حدد 18 سال کی ممر کرنے۔ کا فیصلہ کیہا' السكے لگے مهن اپنے هر دل عزيز، ديتا هول - شكرية]

SHRI SUNIL **BASU** RAY (West Bengal)- Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Amendment Bill moved by Malaviyaji. it is none too late. It could have been But that it has been brought brought earlier. now proves that we are living up to our promises, that we are living up to the needs of reality. There is no doubht adulthood begins not at 21 much earlier. As our ancient Indian saying goes, it is 16 years of age. Actually the fathers were advised by the law-givers to their sons on the attainment of the age treat of

So there is no harm if we give our youth of 18 years the right to vote, the right to decide the future destiny of their It is on them that we must rely. country. We must give them the right to think over their to think over their future and to take the reins of the country, of the Government, in their hands. So this amendment to the Constitution is very necessary. experience in West Bengal and other parts of the country where at the local government level electoral rolls are prepared on the basis of 18 years, the result is good. It is not a partisan question. It is not a question which party gains or which party loses. In a democracy ultimately the people decide their future, the people take the reins of Government in their hands. No single party, no single leader, can claim that they are the agents, sole agents, of the people of the country. It is a question of conferring the right on the people. The Constitution was given to the people by the people and therefore it is our very sacred duty to give that right to them to whom it belongs. It is not a question whether the Congress Party takes a belated decision or not. None prevents from taking a decision earlier. They have witnessed in West Bengal and other parts of the country after extending the democratic rights to the people of a lower age 21, to the youth of 18 and 20, the local governments are running well and the result is not bad, the result is good, the result is promising too. So I support the Bill and I hope that the Government, the Treasury Benches, also will support it rising above any considerations. Once again I Plead that this Bill should be passed unanimously. Thank you.

श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रहलवालिया (विहार) : उपसभा ग्रध्यक्ष महोदय 31 ग्रक्तूबर 1984 का दिन हिन्द्स्तान के इतिहास में एक अजीब सा दिन था जिस दिन एक तरफ तो काले ग्रवर से इतिहास लिखा जा रहा था ग्रीर दूसरी तरफ स्वर्णाक्षर में एक नया इतिहास बन रहा था। काले ग्रक्षरों से इतिहास लिखा जा रहा था क्योंकि इन्दिरा गांधी की उन्हीं के सूरक्षा गार्डी के हाथों द्वारा हत्या हुई ग्रौर दूसरी तरफ स्वर्गाक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा था उसका कारण यह था कि हिन्दस्तान को एक नौजवान प्रधान मंत्री मिल रहा था। एक गुरुधात हुई थी स्वर्णयम की। उसने अपने दिमाय में नौजवानों के बारे में सोचा। नीजवानों के भविष्य के वारे में सोचा और इस महक के बारे में सोचा। इसके पहले बहुत प्रधान मंत्री हए। उन्होंने कल की बात, ग्राज कीवात और ग्राने वाले कल की बात पर सोचा लेकिन ग्राज हमारे हिन्दस्तान में एक ऐसा प्रधान मंत्री है जो कल की बात के साथ-साथ ग्राज की बात भी करता है ग्राने वाले कल की बात करता है और कल के ग्रागे वड कर परसों की बात भी कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं भारत की पयचरलोजी के बारे में भी उसने कई प्रोग्राम, कई नयी पोलिसियां बनाई हैं। इन तमाम पालिसियों में एक यह पालिसी भी उनके जहन में थी कि हमें ग्रपने देश के नौजवानों को बोटिंग राइट देना है। यह वोटिंग राइट देने के लिए उनके दिमाग में मेरे ख्याल से एक शेर याद श्राया होगा कि जब एक नवजवान चीख-चीख कर कह रहा था कि "जब गुलिस्ता को लोह से सींचने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी और जब गुलिस्ता गुल-गुल बाग हुन्ना तो लोग कहते हैं कि गुलिस्तां तुम्हारा नहीं। वह नवजवान है जिसने मल्क की ग्राजादी के लिए अपनी कुरबानी दी। "कोई सर फिरोसी की तमन्ता गाता हुआ," "कोई े मेरा रंग दे बसंती चोला "गाता हम्रा श्रीर कहां खदी राम बोस यह कह रहा था कि "एक बार विदाई दो मां धुरे ग्रासी, इस्ते-हस्ते चापबो फांसी, देखबे सारा

285

Constitution

भारतवासी । बंगाली में गाते-गाते, हंसते हुए मुल्क की ग्राजादी के लिए उन्होंने ग्राने प्राण न्यौछावर कर दिये। प्राज हमें एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला है जो नवजवानों को बोटिन राइट देने की श्रावाज उठा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हं कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है, हमारो यथ कांग्रेस ने सन् 1984 में इस संबंध में एक मेमोरेन्डम दिया था। एन०एस०य०ग्राई० ने 1984 में एक काफोस की थी और यह डिमान्ड की थी कि यह अधिकार 18 वर्ष के नीजवान को मिलना चाहिए। इस विचार पर विवार होता रहा । कोई भी विचार-धारा नई पैदा होती है तो उसमें इतने व्युरोकेटिक बोटलनेक्स होते हैं कि उसमें श्रदकाने वाली चीजें सामने ग्रा जाती हैं। लेकिन अब यह विचारधारा एक स्वरूप लेने जा रही है। कांग्रेस कमेटी ने ग्रौर वांकग कमेटी में ग्रौर खुले ग्रध-वेशन में इस बात की घोषणा की है कि हम यह अधिकार नवजवानों को देने जा रहे हैं। इसके पीछे श्री राजीव गांधी जी को एक लोजिक समझ में आया कि जब हम एक 18 वर्ष की लड़की की शादी करने का ग्रधिकार देते हैं ग्रीर उसको इस बात का भी अधिकार देते हैं कि वह फैमिली को लीड कर सकती हैं तो उसको बोटिंग राइट क्यों नहीं दे सकते हैं? श्री राजीव गांधी को यह बात समझ में झाई है और यह अधिकार देने जा रहे हैं। अब तक स्वामी ही वोट देने जाता था, उसकी स्त्री नहीं जाती थी, लेकिन ग्रव हजबेन्ड ग्रौर वाइफ दोनों बोट देने जा सकेंगे . . . (व्यवधान) खेर, आज यह पहला मौका है जब हिन्द्स्तान में एक नया इतिहास लिखा जाएगा जिसमें 21 साल का स्वामी श्रीर 18 वर्ष की स्त्री, दोनों बोट देने जा सर्वेगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजीव गांधी मुल्क की सरहदों पर गये तो उन्होंने देखा कि जब एक 18 साल का जवान स्टेन गन, मशीन गन और ब्राटोमीटिक गन लेकर सरहदों की रक्षा कर सकता है तो उसको राजनैतिक सुरक्षा का ग्रधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति तोपें चला सकता है गौले पकड़ सकता है, मल्क की सुरक्षा कर

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया]

सकता है, तो उसको राजनैदिक सुरक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता है ? अब उनको भी बोटिंग का अधिकार दिया ा रहा है। अभी हमारे बजर्ग बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अपने दो मैनिफेस्टोज में यह बात नहीं नहीं। मैंने पहले ही कह दिया है कि यह कांग्रेस का है। सवाल नहीं है, दूसरी पार्टियों की भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि इतनी कम उम्र का प्रचान मंत्री पहले नहीं हुआ है। उन्होंने हमारे देश के नवयुक्तों के दिमाग को समझने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले मैनीफैस्टोज में यह बात नहीं कही गई है। भै उनसे यहना चाहवा हूं कि वे भी तो पहले कांग्रेस में हा थे। कांग्रेस से निकल कर ये दूसरे दल बने हैं और उनका सोच निकला है। झाज बोटिन राइट की उम्र घटाने की बात कही जा रही है, लोकन हमने यह बात पहले ही कह दी है पर यह हर एक भारतीय का जन्म सिद्ध ग्रधिकार है जो अधिकार हमारा प्रिय राजीय गांधी देने जा रहा है। हमारी पार्टी के प्रेजीडेंट ने ग्रंपनी पार्टी के प्लेटफार्म पर इस बात या कैसला किया धीर उसके साथ साथ गवर्नभेट से फैसला होने जा रहा है झीर उस बक्त विश्व के नेताओं ने चारों तरफ भीपू लगा कर चिल्लाना गुरु कर दिया है कि यह फैसला मेरा है, यह फैसला मेरा है, यह फैसला मेरा है। यह फैसला विःसी का नहीं यह फैसला उन पांच करोड नीजवानों का है उन पांच करोड नौजवानों का है जिन्होंने अपना बोटिंग राइट अपने तथयुवन प्रधान मंत्रीसे पा लिया है धौर उसका मन जीत लिया है। झाफ वह फैसला उनको मिलने वाला है। मैं द्वापको फिर याद दिला दं ग्रगर हम यह फैसला करते हैं तो हम सिर्फ ग्राने वाली नस्लों के लिए ही नहीं परन्तु बीते हुए कल जिनकी कुर्बानियों के कारण हम ग्राजाद भारतीय ब्राजाद हिन्इस्तानी के नाम पर घुमते फिरते हैं उनके दिये हुए कर्ज को उतारेंगे क्योकि यह सपना उनका भी था और यह सपना हम उनका पूरा करेंगे। मैं सनझता हं कि इस बिल का पूरा समयंन करना चाहिये ग्रीर यह बिल पास होना चाहिये। बन्धवादः।

(Amdt.) Bill, 1988

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Subramanian Swamy,

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I was told by the Chair that r have to speak after....

SHRi SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): You are a part of t'ne ruling party. You come with the ruling party. Now, the Opposition.

SHR1 GHULAM RASOOL MATTO: I am very much in the Opposition.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You come with the ruling party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA);, i have called you. Why do you worry?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Okay. (Interruptions)

Sir, I would like to congratulate my colleague, Shri Satya Prakash Malaviya, for bringing this constitutional amendment. Article 326 of the Constitution lays down that the voting age will be 21. Mr. Malaviya would like the House to make it from 21 to 18.

Sir, this demand now has gained fair amount of popularity, and even the Prime Minister and the Congress Working Committee have woken up to it. Although they have been in power now for almost 4 years, they never thought about it. And suddenly they woke up to it and hastily passed a Resolution that this should be done. Of course, it has still not been done. The reason for the posthaste in adopting this Resolution was that Janata Dai's proposed • programme—or the proposed Janata Dai's adopted programmesays that the voting age will be reduced 18. And since all major movements in our country.. .(Interrupt tions) The proposed Janata Dai's adopted programme, and also of the National Front, of which you will soon become a collaborator. . .

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ; Mr Swamy, you believe so much in adop-¹ tion. You have adopted a leader, you have adopted a programme, and you have adopted... How many things will you adopt?

SUBRAMANIAN Whenever you become leader and cross the floor, we will adopt you also. (In-terruptions terruptions)

AN HON. MEMBER: You are very liberal.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY. Yes, very liberal.

Sir, they realise that the major change in this country has always been brought about by the Youth. Mr. Jayaprakash's movement of 1974 which brought about a change in attitudes was due to the youth. The opposition to the emergency did not really come from leaders so much as from the youth of the country. And even in the freedom struggle, if you look at the Quit India Movement you will find, the youth were in the forefront, and particularly those in the late teens. They did not want the Janata Dal to get credit for it. So, they hastily went to the press and made all kinds of announcements. But they have not come forward. No Member of the Congress Party came forward with even a Private Members' amendment. It had to be a Member of the Janata Party, Mr. Satya Prakash Malaviya, to bring such an amendment before the House. So. Sir, I hope the House will unanimously support with more than twothirds majority the amendment proposed by Mr satya Prakesh Malaviya.

Sir. the most important thing to note is that on the question of voting age,

India is perhaps out of step with the in The figures that ternational practice. 1 obtained from Mr, Malaviya show that the International Parliamentary Union (IPU) tabulated voting ages for 55 countries and found that out of 55

countries only 14 countries had a voting of

21. Of those 14 countries, most itintries are like Cameroon and Bots-w ana and a strife-torn place like Cyprus. Of course there is one important country which is amongst those 14 countries and that is Italy. I suppose that Mr. Bhardwaj will wait till Italy brings down the voting age from 21 to 18.

1434 RS.--10

SHR1 HANS RAJ BHARDWAJ: Hiily has already adopted him.

SHRi SUBRAMANIAN SWAMY; We won't have to wait long because in the next Lok Sabha election there will h« National Front Government and the first thing we will do is to bring this Government.

The Central Government is also out of step with the State Governments within India. For example, in Karnataka there is the Janata Government and in Andhra Pradesh there is Telugu Desam Government, It was done even in U.P. when Mr- Malaviya was the Minister. (.Interrupting) Do we have voting "West Bengal?

THE VICF-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): says: Voting".

SHRi SUBRAMANIAN SWAMY; So, in West Bengal and in U.P. when the Janata Party came into power there, in Karnataka after the Janata Party formed the Government there and the Telugu Desam Government in Andhra Pradesh have the voting of 18 years for the Mangai elections and the Panchayat elections. It is not as if it is something unheard of in India to have a voting age of 18 years. In Gujarat also when the Janata Morcha was the ie and Mr. Babubhaj Patel be-came the Chief Minister. (Interruptions) (will stand corrected if you bring some proof to show that. In fact, Gujarat always been a very sensible place. In spite of the Congress, they are quite sensible there. Therefore, the Central Government is out of step with the nractice at the State or local level. There is nothing unusual or as if something lerrible would happen if we had the voting age of 18 years.

The other important point is that if you look at the total population and the age group between 18 and 21 years, it means that every parliamentary constituency would have one lakh more voters. If you look at this group as a percentage, the highest percentage of educated people are in this age group. It means that by including this age group in the voting

[Shri Subramanian Swamy]

population, you will raise the average educated level of the voters in the country and, therefore, they will be more enlightened and more sophisticated voters. There cannot be an argument that these people are not mature. If you compare the rest of the population of the country of the age of 21 and over and if you look at the age group between 18 and 21 years, you will find that it is a highly educated group, Eighteea years is the minimum age for many other activities in the country where there is a very big risk involved. For example, you take driving. For a driving licence, the minimum age is 18 years. Now, what greater risk can there be? For getting into the Army, it is only 16 years and by the time one is 18 years, he is in the field.

PROF. SOURENDRA BHATTACHAR-JEE (West Bengal); But not a pilot.

SHRI SUBRAMANIAN SVVAMY: You can start even as a pilot at 18. He is very much concerned about being a pilot.

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE; Why?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: It is because he thinks that it is an easy passport to Prime Ministership. I am piloting the discussion, (*Interna-tion*), 1 am about to nose-dive. I have only iwo more points to make.

TUB VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You can continue next time. Now, Mr. Panja to lay Papers on the Table.

5.1)0 P.M.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA); Sir, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy each (in English and Hindi) of the following Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) together with Explanatory Memorandum on the Notifications:—

- (i) Notification No. 307/88-Cus-toms dated the 25th November, 1988. superseding Notification No. 57/87-Customs. dated the 1st March, 1987; and
- (ii) Notification No. 308/88-Cus toms, dated the 25th November, 1988, having the effect of withdrawing existing concessional rate of basic customs duty on certain categories of iron and non-alloy steel sheets, plates, hoops stripes.

[Placed in Library. See No. LT—(785/88 for (i) and (ii)]

THI-: VICE-CHAIRMAN (SHRI 11. HANUMANTHAPPA): Now the House stands adjourned till 11 $\,$ A.M. on Monday. the 28th November, 1988.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 28th November. 1988.